भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 23

सोमवार, 24 जून, 2019/03 आषाढ़, 1941 (शक)

ईपीएफ पेन्शन

***23. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ईपीएफ पेंशनभोगियों के मुद्दों के अध्ययन के लिये नियुक्त समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ईपीएफ पेंशनभोगियों हेतु न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का संराशीकृत राशि प्राप्त किये जाने के उपरान्त पेंशन के संराशीकरण के कारण पेंशन से राशि की वसूली को समाप्त करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *******

ईपीएफ पेन्शन से संबंधित श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा दिनांक 24.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी, हां। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के मूल्यांकन और समीक्षा हेतु नियुक्त समिति ने 21 दिसम्बर, 2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर टिप्पणियां/सिफारिशें दी गई हैं:

I. न्यूनतम मासिक सदस्य पेंशन में वृद्धि
II. वह अवधि जिस पर औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना की जाती है
III. पेंशन के संराशिकृत मूल्य की बहाली
IV. पेंशन के संराशिकरण संबंधी प्रावधान को पुन: शुरू करना
V. पूंजी की वापसी के प्रावधान की बहाली
VI. मासिक पेंशन को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक से जोड़ना
VII. छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उच्चतर/वास्तविक मजदूरी पर पेंशन के भुगतान संबंधी मुद्दे।

जहां तक उच्चतर मजदूरी पर पेंशन का संबंध है, यह मुद्दा न्यायाधीन है।

(ग): समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों/टिप्पणियों पर परामर्श की प्रक्रिया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के साथ शूरू की गई है। सीबीटी केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा श्रमिक संघों, नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक त्रिपक्षीय निकाय है।

(घ): ईपीएफ के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि संबंधी निर्णय परामर्श प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर है और उसका सरकार के बजटीय संसाधनों पर प्रभाव है, चूंकि समिति ने यह सिफारिश की है कि पेंशन में वृद्धि बजटीय संसाधनों से की जानी होगी।

(ङ): पेंशन के संराशिकृत मूल्य को बहाल करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है, चूंकि इसके ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत निधि की वहनीयता पर प्रभाव हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 203

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

श्रम संविधियां

***203. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में वर्तमान श्रम संविधियों के कारण विकसित होती व्यावसायिक फर्मों पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने किन्हीं ऐसे वर्तमान श्रम संविधियों को अभिज्ञात किया है जिनके निरसन किये जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश में संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में सभी कामगारों को बेरोजगारी (न्यूनतम आय), सार्वभौम स्वास्थ्य परिचर्या तथा वृद्धावस्था पेंशन के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा में लाने/विस्तार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

***

श्रम संविधियों के संबंध में श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 203 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): यह उल्लेखनीय है कि हमें अपने विद्यमान केन्द्रीय श्रम अधिनियमों को बदलते आर्थिक परिदृश्य, प्रौद्योगिक प्रगति तथा वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं हमारे कामगारों के लिए बेहतर कार्यदशाओं की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार बनाने की आवश्यकता है। विद्यमान केन्द्रीय श्रम अधिनियमों मे से लगभग 17 श्रम अधिनियम 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा उनमें से कुछ तो 70 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। तदनुसार, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय ने विद्यमान केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरल बनाकर, समामेलित करके तथा तर्कसंगत बनाकर चार श्रम संहिताओं अर्थात मजदूरी संबंधी संहिता; औद्योगिक संबंध संबंधी संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं संबंधी संहिता और सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता के प्रारूपण हेतु कदम उठाए हैं। इन संहिताओं का प्रारूपण श्रमिक संघों, नियोक्ता संघों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन प्रारूपों को आम जनता सहित सभी हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखा गया था। केन्द्रीय श्रम अधिनियम जिन्हें प्रस्तावित श्रम संहिताओं में समामेलित कर लिया गया है, को इन संहिताओं के अधिनियमन पर निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। चार श्रम संहिताओं में से वेतन संबंधी संहिता को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा शेष तीन संहिताएं निर्माण के विभिन्न चरणों अर्थात प्रारूपण, त्रिपक्षीय परामर्श, अंतरमंत्रालयी परामर्श इत्यादि चरण में हैं।

(ग): ये श्रम संहिताएं कामगारों के लिए वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्यदशाओं, कल्याण, विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित मुद्दों को निपटाती हैं। श्रम संहिताओं के निर्माण के अतिरिक्त, सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए एक पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन जारी करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलें की हैं तथा दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों एवं किसानों के लिए दो अन्य पेंशन योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। स्वास्थ्य देखभाल के लिए, आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) लगभग 10.74 करोड़ गरीब, वंचित परिवारों को सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) आधार पर द्वितीय एवं तृतीय देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती करने हेतु 5.00 लाख रूपये तक प्रति परिवार प्रति वर्ष कवरेज उपलब्ध कराती है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 218

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

श्रम संविधियों का सुधार

***218. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 44 श्रम संविधियों को सरल बनाने, युक्तिसंगत बनाने तथा उन्हें 5 संहिताओं में समामेलित करने की प्रक्रिया शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावित श्रम संविधियों के सुधारों पर राज्यों के विचार मांगे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में श्रम संविधियों में सुधार के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

******

श्रम संविधियों के सुधार के संबंध में श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 218 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): यह उल्लेखनीय है कि हमें अपने विद्यमान केन्द्रीय श्रम अधिनियमों को बदलते आर्थिक परिदृश्य, प्रौद्योगिक प्रगति तथा वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं हमारे कामगारों के लिए बेहतर कार्यदशाओं की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार बनाने की आवश्यकता है। विद्यमान केन्द्रीय श्रम अधिनियमों मे से लगभग 17 श्रम अधिनियम 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा उनमें से कुछ तो 70 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। तदनुसार, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय ने विद्यमान केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरल बनाकर, समामेलित करके तथा तर्कसंगत बनाकर चार श्रम संहिताओं अर्थात मजदूरी संबंधी संहिता; औद्योगिक संबंध संबंधी संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं संबंधी संहिता और सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता के प्रारूपण हेतु कदम उठाए हैं। इन संहिताओं का प्रारूपण श्रमिक संघों, नियोक्ता संघों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात किया गया है। श्रम संहिताओं पर कुल आठ त्रिपक्षीय परामर्श किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इन प्रारूपों को आम जनता सहित सभी हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखा गया था। केन्द्रीय श्रम अधिनियम जिन्हें प्रस्तावित श्रम संहिताओं में समामेलित कर लिया गया है, को इन संहिताओं के अधिनियमन पर निष्प्रभावी कर दिया जाएगा।

(ग): मंत्रालय ने विभिन्न केन्द्रीय श्रम अधिनियमों में संशोधन भी किए हैं जैसे बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में बोनस के भुगतान हेतु पात्रता सीमा को 10,000/-रुपये से बढ़ाकर 21,000/-रुपये प्रतिमाह तथा गणना सीमा को 3500/-रुपये से बढ़ाकर 7000/-रुपये अथवा न्यूनतम वेतन करना; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में कर्मचारियों को नकद अथवा चैक अथवा उनके बैंक खाते में राशि जमा करके वेतन का भुगतान करने में समर्थ बनाना; बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सभी व्यवसायों अथवा प्रक्रियाओं में नियोजन प्रतिबंधित करना; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना; उपदान संदाय अधिनियम,1972 में उपदान सीमा को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 228

सोमवार, 24 जून, 2019/03 आषाढ़, 1941 (शक)

श्रमिकों को स्वास्थ्य और पेंशन सुविधा

228. श्री मनोज तिवारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और पेंशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए उसके संबंध में विद्यमान प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मुआवजा प्रदान करने में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम,2008 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में (i) जीवन एवं अपंगता कवर, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य किसी लाभ, से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के लिए समुचित कल्याण योजनाओं के निर्माण का प्रावधान है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 15 फरवरी, 2019 से प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु के होने पर 3000/-रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना 50:50 पर आधारित है जिसमें 50 प्रतिशत मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा संदेय है तथा इतनी ही मात्रा में भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है। लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में है।

(ग) और (घ): केन्द्र सरकार ने असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवरेज प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) नामक सामाजिक सुरक्षा योजना का विलय कर दिया है। विलय की गई पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये, आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रुपये तथा स्थायी अपंगता होने पर 2 लाख रूपये की राशि दी जाती है। 342 रुपये के वार्षिक प्रीमियम को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर साझा किया जाता है। ये योजनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

(ङ) और (च): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं होती हैं।

* *****

अनुबंध I

दिनांक 24.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की संख्या (19.06.2019 की स्थिति के अनुसार)
1.	हरियाणा	605113
2.	महाराष्ट्र	553427
3.	उत्तर प्रदेश	510032
4.	गुजरात	352018
5.	बिहार	140300
6.	ओडिशा	124414
7.	झारखंड	117062
8.	छत्तीसगढ़	108654
9.	मध्य प्रदेश	101604
10.	राजस्थान	83310
11.	तमिलनाडु	47193
12.	कर्नाटक	50240
13.	जम्मू और कशमीर	47775
14.	पश्चिम बंगाल	47679
15.	आंध्र प्रदेश	40193
16.	पंजाब	28385
17.	उत्तराखंड	22150
18.	हिमाचल प्रदेश	18407
19.	तेलंगाना	16772
20.	त्रिपुरा	14578
21.	असम	11600
22.	केरल	7958
23.	दिल्ली	6144
24.	मणिपुर	2609
25.	नागालैंड	2105
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1171
27.	चंडीगढ़	1040
28.	मेघालय	1432
29.	पुडुचेरी	1025
30.	अरुणाचल प्रदेश	966
31.	दादरा और नागर हवेली	657
32.	मिजोरम	483
33.	दमन एवं दीव	406
34.	गोवा	245
35.	सिक्किम	90
36.	लक्षद्वीप	21
कुल		**3067258**

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 309

सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941(शक)

भविष्य निधि से ऑनलाइन आहरण

309. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि से 10 लाख रुपए से अधिक की राशि और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 से 5 लाख से अधिक रुपए की राशि के आहरण हेतु ऑनलाइन आवेदन को अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी, नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिनांक 27 फरवरी, 2018 को एक परिपत्र जारी किया था कि केवल ऑनलाइन मोड़ के माध्यम से 10.00 लाख रूपये या अधिक के भविष्य निधि (पीएफ) दावें और 5.00 लाख रूपये या अधिक के ईपीएस दावे स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि 14 मई, 2018 को उक्त परिपत्र को अभिदाताओं द्वारा सामने आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रास्थगित रखा गया था।

वर्तमान में अभिदाताओं के लिए ऑफलाइन या ऑनलान मोड़ में दावे प्रस्तुत करना संभव है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 310

सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941(शक)

न्यूनतम पेंशन योजना

310. श्री अजय कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश मे गैर-संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए न्यूनतम पेंशन योजना में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से राज्य-वार कितने कामगारों को लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय कोई न्यूनतम पेंशन योजना लागू नहीं कर रही है। हाल ही में, मंत्रालय ने प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना को आरम्भ किया है, जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रूपये की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष की आयु के असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रूपये या इससे कम हो और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य न हो, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और समरूप अंशदान का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 349

सोमवार, 24 जून, 2019 / 3 आषाढ़, 1941 (शक)

सामाजिक सुरक्षा योजना

349. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की परिधि से बाहर के लोगों को पेंशन, चिकित्सा और बीमा कवर के साथ सामाजिक सुरक्षा कवर देने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में यह कब तक आरंभ होगा; और

(ग) सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता कवर, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित विषय पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से दिया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लाभार्थी पर कोई बोझ डाले बिना समान भाग में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा पर आयुष्मान भारत योजना में ध्यान दिया जाता है। मासिक पैंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में न्यूनतम 3000/-रूपये की सुनिश्चित पैंशन 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अंसगठित कामगारों को दी जाएगी। यह योजना 50:50 पर आधारित है, जिसमें 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा और इसके समनुरूप अंशदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 392

सोमवार, 24 जून, 2019 / 3 आषाढ़, 1941 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा

392. डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों/अनुबंधित कामगारों/श्रमिकों में व्यापक रूप से व्याप्त असुरक्षा के भाव को शांत करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय देश में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/अनुबंधित कामगारों/श्रमिकों की संख्या का डाटा एकत्रित/मिलान कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता कवर, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित विषय पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से दिया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लाभार्थी पर कोई बोझ डाले बिना समान भाग में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा पर आयुष्मान भारत योजना में ध्यान दिया जाता है। मासिक पैंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में न्यूनतम 3000/-रू. की सुनिश्चित पैंशन 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अंसगठित कामगारों को दी जाएगी। यह योजना 50:50 पर आधारित है, जिसमें 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा और इसके समनुरूप अंशदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 407

सोमवार, 24 जून, 2019 / 3 आषाढ़, 1941 (शक)

महिलाओं और अन्य कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

407. श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास सेवा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिहाड़ीदार मजदूरों के रूप में कार्यरत महिला और अन्य कामगारों के लिए दिहाड़ी वेतन, भविष्य निधि, ईएसआई, और अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता कवर, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित विषय पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से दिया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लाभार्थी पर कोई बोझ डाले बिना समान भाग में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा पर आयुष्मान भारत योजना में ध्यान दिया जाता है। मासिक पैंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में न्यूनतम 3000/-रुपये की सुनिश्चित पैंशन 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अंसगठित कामगारों को दी जाएगी। यह योजना 50:50 पर आधारित है, जिसमें 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा और इसके समनुरूप अंशदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 411

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

सीमेंट कामगारों को सुविधाएं

***411. सुश्री दिया कुमारी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सीमेंट कंपनियों के कर्मचारियों के लिये वेतन एवं सुविधाओं के संबंध में क्या मानदंड/मापदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को सीमेंट कंपनियों द्वारा कर्मचारियों का शोषण किये जाने से संबंधित समस्या की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान राज्य में अवस्थित सीमेंट कंपनियों में नियमित आधार पर कार्यरत ठेका कामगारों तथा कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को अजमेर तथा पाली जिलों में कार्यरत कामगारों की मजदूरी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में व्याप्त असमानताओं की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

सीमेंट कामगारों को सुविधाओं के संबंध में सुश्री दिया कुमारी द्वारा दिनांक 22.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 411 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): सीमेंट कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते मैनेजमेंट ऑफ सीमेंट मेन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन और आईएनसीडब्ल्यूएफ (आईएनटीयूसी), एबीसीएमएस (बीएमएस), एआईसीडब्ल्यूएफ (एआईटीयूसी), एआईसीईएफ (एचएमएस), एनसीसी ऑफ सीमेंट यूनियन्स (आईसीआईटीयू), सीडब्ल्यूपीयूफ (एलपीएफ) के प्रतिनिधित्व में सीमेंट कर्मकारों के बीच सुलह अधिकारी और मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) की उपस्थिति में दिनांक 20.02.2019 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमेंट कारखानों के कर्मचारियों सहित कर्मचारी विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत यथा उपलब्ध प्रसुविधाओं का लाभ उठाएं, मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) {सीएलसी(सी)} के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) केंद्रीय क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करता है। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा 2019-20 में सीआईआरएम द्वारा सीमेंट कंपनियों के प्रतिष्ठानों सहित प्रतिष्ठानों में किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (जून, 2019 तक)
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	8843	8490	8577	1474
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	89296	97779	87928	16843
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	68808	68716	45121	11558
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3168	3538	3227	778
5	दोषसिद्धियों की संख्या	2266	2583	1372	177

(घ): राजस्थान राज्य में नियमित और ठेका कामगारों की संख्या इस प्रकार है:-

ठेका कामगार : 27487

नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारी : 9724

(ङ): अजमेर और पाली जिलों में सीमेंट कंपनियों के नियमित कामगारों को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार वेतन दिया जा रहा है तथा अन्य कामगारों को राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत व्याप्त सीमेंट कंपनियों के कामगार चिकित्सा और नकद प्रसुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1342

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

सामाजिक सुरक्षा कवरेज

1342. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:
श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भविष्य निधि, परिवार पेंशन, उपदान, कामगारों का मुआवजा जैसी सामाजिक सुरक्षाएं प्राप्त हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दिल्ली में उक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा जून, 2019 तक दिल्ली में कुल कितने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा से जोड़ दिया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे देश में किया जाता है। इस अधिनियम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता कवर, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति

प्रसुविधा, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित विषय पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से दिया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लाभार्थी पर कोई बोझ डाले बिना समान भाग में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा पर आयुष्मान भारत योजना में ध्यान दिया जाता है। मासिक पैंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में न्यूनतम 3000/-रू. की सुनिश्चित पैंशन 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अंसगठित कामगारों को दी जाएगी। निर्धारित मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा और इसके समनुरूप अंशदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है। 26.06.2019 तक की यथा स्थिति अनुसार पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत दिल्ली से 6,204 कामगारों का नामांकन किया गया है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1352

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

बागान श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

1352. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के बागान श्रमिकों के लिए प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सभी बागान श्रमिकों को ई.एस.आई.लाभ प्राप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में बागानों में काम की दशाओं का विनियमन है तथा बागान श्रमिकों के कल्याण का प्रावधान है। इस अधिनियम में नियोजकों से अपेक्षा है कि वे कामगारों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी एवं प्रसूति लाभ तथा अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराएं। चाय एस्टेटों में कार्य-स्थलों के भीतर और आस-पास चाय बागान कामगारों और उनके परिवारों के लाभार्थ कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा, पेय जल, सफाई-व्यवस्था, कैंटीन, शिशु-सदन और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था है। बागान श्रमिक अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है जिसके लिए उनके द्वारा अलग-से नियम बनाए गए हैं।

इन सुविधाओं के अतिरिक्त, बागान उपयोगी-वस्तु बोर्ड, अपनी संबंधित स्कीमों के अंतर्गत मध्यावधि रूपरेखा अवधि के दौरान बागान कामगारों तक श्रम कल्याण उपायों का विस्तार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बागान संपदाओं में कार्यरत अ.जा./अ.जजा. वर्ग के कामगारों के बच्चों को दसवीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने के समर्थ बनाने हेतु वित्तीय

जारी–2/-

सहायता प्रदान करना है। यह सहायता हाई स्कूल/डिग्री-पूर्व पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले तथा किसी विधा में स्नातक/परा-स्नातक की पढ़ाई करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।

इसके अलावा, चाय उद्योग के कामगार विभिन्न औद्योगिक और सामाजिक सुरक्षा विधानों द्वारा व्याप्त हैं जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, (असम चाय बागान भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि स्कीम अधिनियम 1955 - केवल असम के लिए), बोनस संदाय अधिनियम, 1965, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, वेतन संदाय अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा औद्योगिक नियोजन(स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ।

इसके अतिरिक्त, सरकार चाय संपदाओं में बागान कामगारों और उनके आश्रितजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां कार्यान्वित करती है। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) स्कीम के अंतर्गत चाय बोर्ड द्वारा चलाई गई कल्याणकारी गतिविधियों का लक्ष्य कामगारों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार लाना, कामगारों की संतानों की शिक्षा तथा कृषकों/कामगारों के कौशलों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण देना है।

(ख): बागान कामगार क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त नहीं हैं। वर्तमान में, बागान कामगारों की क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, छोटे चाय कृषकों के कामगारों के लाभार्थ चाय बोर्ड द्वारा सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। अन्य राज्यों में संगठित क्षेत्र के चाय कामगार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत व्याप्त हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1354

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

गणेश शुगर मिल के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की शिकायत

1354. श्री पंकज चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयोग को गणेश शुगर मिल्स, आनंद नगर, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की ई.पी.एफ. और पेंशन से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार उक्त शुगर मिल्स के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की ई पी एफ और पेंशन संबंधित शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करेगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सूचित किया है कि मैसर्स गणेश शुगर मिल, आनंद नगर, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कार्मिकों के संबंध में माननीय सांसद श्री पंकज चौधरी से दिनांक 05.03.2019 और 31.05.2019 को शिकायतें प्राप्त हुई थीं। दिनांक 05.03.2019 के पत्र में, माननीय सांसद ने गोरखपुर कार्यालय के स्टाफ/कार्मिकों द्वारा दायर दावों के निपटान में अनियमितता का उल्लेख किया था।

ईपीएफओ द्वारा सूचना दी गई है कि क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में सन् 2012 से 296 पेंशन के मामलों सहित 1181 दावे प्राप्त हुए हैं। अब तक इनमें से 940 दावों का निपटान कर दिया गया है। जहां तक प्रतिष्ठान से प्राप्त वार्षिक विवरणी (3ए/6ए) के आधार पर उपलब्ध रिकार्डों के सत्यापन के बाद 1994-1999 तक की अवधि तक के अंशदान की गैर-अदायगी का संबंध है, वार्षिक लेखों को अंशदान के साथ 1996-1997 तक अद्यतन किया गया है। अंशदान और सांविधिक विवरणी के अभाव में, प्रतिष्ठान के वार्षिक लेखे वर्ष 2010-11 तक ब्याज सहित जारी किए गए हैं।

दिनांक 31.05.2019 का पत्र अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एसीसी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिया गया है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1377

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941(शक)

मजदूरों के लिए मानदेय/पेंशन

1377. श्री संजय काका पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई मानदेय देने और उनके लिए पेंशन योजना कार्यान्वित करने का प्रावधान बनाया गया है/बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नियम बनाया गया है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं/किए जाने के प्रस्ताव हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिनांक 15 फरवरी, 2019 से प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, पात्र असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह स्कीम 50:50 आधार पर आधारित है जहां 50 प्रतिशत मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा तथा इतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा देय है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन के दिशा-निर्देश भी बनाए गए हैं।

(ग): संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कामगारों की वित्तीय दशाओं सहित सामाजिक सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न अधिनियमों और स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। संगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुख्यत: पांच अधिनियमों नामत: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के माध्यम से दी जाती है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मुख्यत: असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के जीवन और अपंगता छत्र, स्वास्थ्य तथा प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण से संबंधित मामलों से संबंधित कल्याणकारी स्कीमें उपबंधित हैं।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1395

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941(शक)

सार्वभौमिक खाता संख्या

1395. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पहले जारी किए जा चुके यूएएन संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यूएएन के लिए कितने आवेदन यदि कोई हो, लम्बित हैं;

(ग) क्या आधार और यूएएन को जोड़ना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेंशन और अन्य लाभ पाने के लिए मूल योजना प्रमाणपत्र अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास ईपीएफओ के विभिन्न कार्यालयों में मूल योजना प्रमाणपत्र के लिए लंबित आवेदनों की संख्या के संबंध में कोई रिकॉर्ड है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। दिनांक 25.06.2019 की स्थिति के अनुसार 15.49 करोड़ सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) आबंटित किए गए हैं और कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ग): आधार (वित्तीय और अन्य सहायकी, लाभों और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में जारी दिनांक 04.01.2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 26 (अ) के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के सदस्य और पेंशनभोगी, जो केंद्र सरकार के योगदान और सब्सिडी का लाभ उठाते हुए ईपीएस में पेंशन और सदस्यता जारी रखने के इच्छुक हैं, उन्हें आधार के माध्यम से बेहतर और निर्बाध रूप से पहचान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा उन्हें आधार संख्या के अपने पास होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

जारी....2/-

(घ): योजना प्रमाण-पत्र में पेन्शन-योग्य सेवा, पेन्शन-योग्य वेतन और नियोजन से सदस्य के बाहर निकलने की तारीख के दौरान पेंशन की राशि को दर्शाया जाता है। योजना प्रमाण-पत्र सदस्य को रोज़गार बदलने के साथ-साथ अर्जित पेंशन योग्य लाभ को आगे ले जाने में सक्षम बनाता है। मूल योजना प्रमाण-पत्र यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या किसी सदस्य ने अपने पेंशन दावे के निपटान से पहले निकासी लाभ का लाभ उठाया है।

(ङ) से (च): दिनांक 25.06.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के विभिन्न कार्यालयों में योजना प्रमाण-पत्र जारी करने के 19,117 दावे के आवेदन लंबित थे।

ईपीएफओ के विभिन्न कार्यालयों में योजना प्रमाण-पत्र के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान एक सतत प्रक्रिया है। योजना प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अपेक्षित अपर्याप्त सूचना/दस्तावेज जमा करने के कारण कुछ दावे लंबित हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1412

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941(शक)

श्रम संबंधी कानूनों में परिवर्तन

1412. श्री उदय प्रताप सिंह:

श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का श्रमिकों/कामगारों के हितों को देखते हुए श्रम कानूनों में संशोधन के माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का श्रमिकों/कामगारों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निपटान हेतु कड़े कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कामगारों की समस्याओं के निपटान हेतु कोई पोर्टल या मोबाइल एप विकसित किया है अथवा कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) श्रमिकों की समस्याओं के निवारण के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाए गए और उठाए जाने वाले ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): मंत्रालय ने विद्यमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरलीकृत, समामेलित एवं तर्कसंगत बनाकर क्रमश: वेतन; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं से संबंधित चार श्रम संहिताओं के प्रारूपण हेतु उपाय किए हैं। इन चार श्रम संहिताओं में कामगारों के लिए वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित उपबंध शामिल हैं।

(ग): विभिन्न श्रम अधिनियमों में उपबंधित निवारण तंत्र के अतिरिक्त, निम्नलिखित ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप इत्यादि भी कामगारों की शिकायतों का निवारण करते हैं :-

जारी....2/-

- सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुवीक्षण पद्धति) - सीपीजीआरएएमएस वह मंच है जिसका मुख्य उद्देश्य कामगारों सहित पीडित नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी (24x7) आधार पर उन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को शिकायत भेजने में समर्थ बनाना है, जो इन शिकायतों की छंटनी करके इनके त्वरित एवं उचित निपटान के लिए कार्रवाई करते हैं।
- ईपीएफआईजीएमएस (ईपीएफ आई शिकायत प्रबंधन पद्धति) यह ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाओं की शिकायतों के निपटान के उद्देश्य से विकसित एक पद्धतिबद्ध पोर्टल है।
- यूएमएएनजी (यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-ऐज गवर्नेंस) एप - अभिदाताओं के लिए ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की सेवाओं को एकीकृत किया गया है तथा भारत सरकार की यूएमएएनजी एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध करायी गई हैं।
- पेंसिल (प्लेटफार्म फोर इफेक्टिव इनफोर्समेंट फोर नो चाइल्ड लेबर) पोर्टल - कोई भी व्यक्ति पेंसिल पोर्टल पर बाल श्रम के संबंध में ऑनलाइन शिकायतें दायर कर सकता है। यह शिकायत उस बाल श्रमिक के बचाव, पुनर्वास तथा उसको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सिस्टम द्वारा स्वत: संबंधित नोडल अधिकारी को आबंटित हो जाती है।
- श्रम सुविधा पोर्टल - यह पोर्टल वेतन सुरक्षा, जॉब सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्न अन्य सुरक्षाओं, स्वास्थ्य एवं कल्याण उपायों को सुनिश्चित करने हेतु श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक पारदर्शी जोखिम आधारित ऑनलाइन श्रम निरीक्षण सेवा को संचालित करता है।

(घ): श्रम संबंधी मुद्दों के निवारण के लिए सरकार द्वारा गत कुछ वर्षों के दौरान किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :-

- बोनस संदाय संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बोनस के भुगतान हेतु पात्रता सीमा को 10000/- रुपसे से बढ़ाकर 21000/-रुपये प्रतिमाह तथा गणना सीमा को 3500/- रुपसे से बढ़ाकर 7000/- रुपये अथवा न्यूनतम वेतन किया।
- वेतन संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 नकद अथवा चैक अथवा कर्मचारियों के बैंक खाते में राशि जमा करके कर्मचारियों को उनके वेतन के भुगतान में सक्षम बनाता है।
- बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों अथवा प्रक्रियाओं में नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है।
- प्रसूति प्रसुविधा संशोधन अधिनियम, 2017 सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करता है।
- कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम शास्तियों को तर्कसंगत बनाता है तथा अधिनियम के अंतर्गत कामगारों के अधिकारों को सुदृढ़ बनाता है।
- उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2018 केंद्र सरकार को समय-समय पर यथा अधिसूचित राशि तक उपदान की अधिकतम सीमा को बढ़ाने हेतु लचीलापन प्रदान करता है। दिनांक 29 मार्च, 2018 की अधिसूचना द्वारा उपदान की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1413
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

1413. डॉ॰ आलोक कुमार सुमनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शहरी गरीब परिवारों की निर्धनता और दुर्बलता को दूर करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो संबंधित केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं;
(ग) क्या प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ने नियोक्ताओं के माध्यम से रोजगार का सृजन किया है; और
(घ) यदि हां, तो कुल लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता एवं अरक्षितता को कम करने के लिए "दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" का कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे धारणीय आधार पर उनकी आजीविका में सुधार हेतु लाभप्रद स्व-रोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच बन सके। डीएवाई-एनयूएलएम के सात घटक हैं, अर्थात् (i) सामाजिक संघटन एवं संस्था विकास (एसएमएंडआईडी), (ii) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी), (iii) कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटीएंडपी), (iv) स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी), (v) शहरी बेघरों हेतु आश्रय के लिए योजना (एसयूएच), (vi) शहरी फेरीवालों को सहायता (एसयूएसवी) तथा (vii) नवप्रवर्तन एवं विशेष परियोजनाएं (आईएंडएसपी)।

(ग) एवं (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। इस योजना का दोहरा लाभ है। इसमें जहां एक ओर नियोक्ताओं को प्रतिष्ठानों में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच होगी। 26 जून, 2019 तक 1.21 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1476

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

निर्माण कार्य से जुड़े प्रवासी कामगार

1476. श्री खगेन मुर्मु:

डॉ॰ सुकान्त मजूमदार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण कार्य से जुड़े प्रवासी कामगार न्यूनतम दिहाड़ी, समयोपरि भुगतान और साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त आवास और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ के हकदार हैं, परंतु श्रम कानून के इस खण्ड के कार्यान्वयन की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्माण उपकर के रूप में संग्रहित लगभग 20,000 करोड़ रु॰ अप्रयुक्त पड़े हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान संग्रहित और प्रयुक्त उपकर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्माण उपकर के रूप में संग्रहित राशि को प्रवासी कामगारों को किराए पर आवास प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विनिर्माण कामगारों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम**, 1979** में अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (आरईएण्डसीएस) केंद्रीय नियम**, 1980** के नियम 45 के अनुसार कथित नियमों में शामिल प्रवासी सन्निर्माण कामगारों सहित प्रवासी कामगारों को आवासीय स्थान सुविधाएं देने का उपबंध है। इन प्रावधानों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए मुख्य श्रम आयुक्त(कें.) के अंतर्गत ढांचा इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (आरईएण्डसीएस) अधिनियम और केंद्रीय नियमों के अंतर्गत नियमित निरीक्षण करता है। इसका ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

जारी---2/-

(ग): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, **1996** में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों का उपबंध है। उपर्युक्त कथित अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निर्माण की लागत की 1% दर से उपकर लगाया और इसका संग्रहण किया जाता है। राज्य बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अंतर्गत गठित अपने-अपने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के माध्यम से बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 22 के अनुसार उपकर निधि का उपयोग करते हैं। राज्यों और संघ क्षेत्रों ने 31.03.2019 तक लगभग 49688.07 करोड़ रूपये का संग्रहण किया है और 19379.922 करोड़ रूपये खर्च किए हैं।

(घ): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 34 में नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है कि वे भवन या अन्य निर्माण कार्य जारी रहने की अवधि तक उनके द्वारा नियोजित कामगारों को यथासंभव कार्य स्थल पर या उसके निकट भोजन पकाने, स्नान, कपड़े धोने की अलग जगह और शौचालय सुविधाओं के साथ रहने की जगह मुफ्त में प्रदान करें। इसके अलावा काम की तलाश करते समय बीओसी कामगारों के सामाने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे बीओसी कामगारों को यथानिर्धारित राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर निधि में से मार्गस्थ आवास / लेबर शेड - कम - नाईट शेल्टर, मोबाइल शौचालय और मोबाइल शिशुग्रह की सुविधा प्रदान करने में अग्रसक्रिय कदम उठाएं।

(ड.) बीओसीडब्ल्यू (आरईसीएस) अधिनियम, 1996 की धारा 22 में बीओसी कामगारों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी उपायों का उपबंध किया गया है:

(i) दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता देना;

(ii) जिन लाभार्थियों ने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उन्हें पेंशन की भुगतान लागत करना;

(iii) लाभार्थी को मकान बनाने के लिए यथानिर्धारित राशि से अनधिक और निबंधन एवं शर्तों पर ऋण एवं अग्रिम मंजूर करना;

(iv) लाभार्थी की समूह बीमा योजना के प्रीमियम के लिए ऐसी राशि का भुगतान करना जिसे ठीक समझा जाए।

(v) लाभार्थी के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्धारित की जाने वाली वित्तीय सहायता देना;

(vi) लाभार्थी अथवा ऐसे आश्रित को प्रमुख बीमारी के उपचार के लिए निर्धारित किए जाने वाले चिकित्सा खर्चों का भुगतान करना;

(vii) महिला लाभार्थियों को प्रसूति प्रसुविधा का भुगतान करना; और

(viii) निर्धारित किए जाने वाले ऐसे कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं का प्रावधान करना एवं उनमें सुधार करना।

राज्यों के राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डो ने उपर्युक्त के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं।

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ विलयित आम आदमी बीमा योजना) एएबीवाई की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करने के लिए बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि का उपयोग करें और आयुषमान भारत और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (एसवाईएम-पीए) के अंतर्गत बीओसी कामगारों को जीवन तथा अशक्तता कवर और वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए उपकर निधि में से इन योजनाओं के लिए राज्य अंश / लाभार्थी अंश का भुगतान करें।

* ****

अनुबंध –I

01.07.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1476 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

आईएसएमडब्ल्यू (आरई एण्ड सीएस) अधिनियम, 1979

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 मार्च, 2019 तक
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	173	122	209	185
2.	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	2744	2214	2952	3463
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	2240	1848	1939	2423
4.	शुरू किए अभियोजनों की संख्या	61	52	57	84
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	44	59	47	38

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1501

सोमवार, 1 जुलाई, 2019 / 10 आषाढ़ 1941 (शक)

1995 की ईपीएस पेंशन के भोगी

1501. श्री रामदास तडस:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 1995 में कार्यान्वित की गई पेंशन में संशोधन करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में भगत सिंह कोशियारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1995 के ईपीएस पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा उन्हें कम से कम 7500/- रुपये मूल पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार को वर्ष 1995 के ईपीएस पेंशनभोगियों से उनकी समग्र मांग के संबंध में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई अथवा की जाएगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): योजना में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और यह हितधारकों से परामर्श करते हुए जब कभी आवश्यक हो किया जाता है

जारी...2/-

(ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत सरकार के हिस्से को बढ़ाने में वित्तीय विवशताओं के कारण और कर्मचारी पेंशन निधि की वहनीयता को बनाए रखने के लिए कोशियारी समिति की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं। तथापि, सरकार ने 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को प्रतिमाह 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना शुरू किया है।

(ग): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत 1000/- रूपये प्रति माह तक की पेंशन प्राप्त करने वाले एवं दिल्ली में रहने वाले कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा लाभ विस्तारित करने के लिए एक प्रायोगिक योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। यह योजना उन पेंशनभोगियों के लिए वैकल्पिक होगी जो उन्हें मासिक आधार पर संवितरित पेंशन में से प्रतिमाह 100/- रुपये की कटौती करने संबंधी अपना विकल्प देंगे।

(घ) से (च): व्यक्ति विशेष ईपीएस, 1995 पेंशनभोगियों तथा पेंशनभोगी संघों से निम्नलिखित मांगें उठाते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं:

(i) न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर प्रतिमाह 2000 रुपये/3000 रुपये/7500 रुपये करना;
(ii) मासिक पेंशन को जीवन लागत सूचकांक से जोड़ना;
(iii) पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की बहाली करना;
(iv) पेंशन के कम्यूटेशन के प्रावधान को पुन: प्रारंभ करना;
(v) पूंजी की वापसी के प्रावधान की बहाली करना;
(vi) मासिक औसत पेंशनयोग्य वेतन की गणना करने के लिए अवधि को 60 माह से घटाकर 12 माह करना;
(vii) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उच्च वेतन पर पेंशन का भुगतान करना।

प्राप्त हुए विभिन्न अभ्यावेदन भारत सरकार द्वारा ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन एवं समीक्षा हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त अनुवीक्षण समिति के समक्ष उसके विचारार्थ रखे गए थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 21.12.2018 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1517
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और
स्वास्थ्य-जोखिम

1517. श्री फिरोज वरूण गांधीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2014-15, 2015-16, 2017-18 और चालू वर्ष के दौरान असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के संबंध में सरकार के पास कोई ब्यौरा है;
(ख) कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने के लिए सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ग) उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्श बोर्ड के गठन की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) ओमनी बस कोड में 44 श्रम कानूनों को 4 ओमनी बस कोड में तर्कसंगत बनाने और उन्हें समेकित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, गैर-कृषि एवं एजीईजीसी क्षेत्रों (एजीईजीसी क्षेत्र की कवरेज है-फसल उगाने को छोड़कर कृषि क्षेत्र, बाजार बागबानी, उद्यान-विज्ञान एवं पशुपालन सहित, फसलों को उगाना) में कार्य पर लगे कामगारों की सामान्य स्थिति आधार (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) पर अनौपचारिक क्षेत्र (अर्थात् ट्रेडमार्क युक्त एवं भागीदारी उद्यम) में प्रतिशत 2017-18 में 68.4% तथा 2011-12 में 72.4% थी।

(ख से घ): भारत सरकार ने कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं वातावरण पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसएचईडब्ल्यू) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कार्य-संबंधी चोट, रोगों, मृत्यु, आपदाओं की घटना के उन्मूलन के माध्यम से देश में निरोधक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्कृति की स्थापना करना तथा देश में आर्थिक कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाना है। विभिन्न सम्मेलनों, जागरूकता शिविरों, सुरक्षा सप्ताहों, अभियानों, पंचाटों तथा सर्वेक्षण आदि आयोजित करके सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उद्देश्य के संवर्द्धन एवं बढ़ावा हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं।

खानों में कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उद्देश्यों के नियमन के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक व्यापक विधान, खान अधिनियम, 1952 अधिनियमित किया गया है। खान अधिनियम, 1952 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

कारखानों के संबध में, कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों के व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पहलुओं की देखभाल के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के रूप में एक व्यापक विधायन अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम तथा इसके तहत तैयार की गई राज्य कारखाना नियमावली का प्रवर्तन कारखाना प्रमुख निरीक्षक/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से संबधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

श्रम कानूनों में सुधार समय की आवश्यकता के समाधान के लिए विधायी व्यवस्था को अद्यतन करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है, ताकि उन्हें और-अधिक प्रभावी, लोचशील तथा उभरते हुए आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य के साथ समन्वित किया जा सके। मंत्रालय ने मजदूरी, औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा व्यावसायिक सुरक्षा, क्रमशः स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाओं, विद्यमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों का सरलीकरण करके, मिलाकर एवं युक्तिसंगत बनाकर, चार श्रम संहिताओं के मसौदे हेतु कदम उठाए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाओं पर संहिता का मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा यह एक राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य परामर्शदात्री बोर्ड की स्थापना हेतु प्रावधानों को शामिल करता है।

******

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1556

सोमवार, 1 जुलाई, 2019 / 10 आषाढ़ 1941 (शक)

रिक्त पद

1556. श्री दीपक बैज:
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने देश में रिक्त पड़े पदों को भरने में हो रही देरी के कारण संबंधित विभागों को उन्हें भरने हेतु दिशानिर्देश दिए हैं;

(ख) देश में बेरोजगारी को खत्म करने और रोजगार प्रदान करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में बहुत लंबे समय से रिक्त पड़े बहुत से पदों को भरने में और चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने में देरी हो रही है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान रोजगार अवसरों को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) आज की तारीख में, सरकारी नौकरियों/रिक्त पड़े पदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और इन पदों को भरने हेतु क्या कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ- राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): श्रम एव रोजगार मंत्रालय ने ऐसा कोई सुझाव जारी नहीं किया है। तथापि, रिक्तियों को भरना सरकार के लिए प्राथमिकता मद है।

(ख): युवाओं की रोजगारपरकता में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार का प्राथमिक सरोकार है। सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, अधिक मात्रा में निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं की फास्ट ट्रेकिंग तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) स्कीम तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर लोक व्यय को बढ़ाने जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

जारी...2/-

रोजगार सृजन को बढावा देने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सरकार तीन वर्ष तक सभी क्षेत्रों के सभी पात्र नए कर्मचारियों के ईपीएफ एवं ईपीएस के सम्पूर्ण नियोक्ता अंशदान (12 प्रतिशत अथवा अनुमेय) का भुगतान कर रही है, जिसके अंतर्गत मार्च, 2019 तक 1.18 करोड़ लाभार्थियों ने लाभ उठाया।

सरकार ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा कार्यान्वित की है जिसमें नौकरी चाहने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं जॉब्स पोस्ट करने तथा अन्य रोजगार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल (www.ncs.gov.in) है।

(ग): एसएससी/यूपीएससी जैसी भर्ती करने वाली एजेंसियों को नियमित रूप से रिक्तियां रिपोर्ट की जाती हैं। न्यायिक वाद-विवाद के कारण रिक्तियों को भरने के कुछ मामलों में विलम्ब हुआ है।

(घ): जैसाकि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में वर्णन किया गया है, सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

(ङ): व्यय विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 01.03.2018 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्तियों का ब्यौरा अनुलग्नक में है। रिक्त पदों को भरा जाना वर्ष के दौरान मंत्रालयों/विभागों में उत्पन्न रिक्तियों और भर्ती करने वाली एजेंसियों के कार्रवाई कैलेंडर पर निर्भर एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रिक्त पदों का भरा जाना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है।

*****

'रिक्त पद' से संबंधित 01.07.2019 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1556 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

दिनांक 1.3.2018 तक की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के नियमित सिविलियन कार्मिकों की समूह-वार और दर्जे-वार (राजपत्रित/अराजपत्रित) अनुमानित संख्या											
क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	स्वीकृत पदों की संख्या					पदस्थ संख्या				
		क(राजपत्रित)	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)	कुल	क(राजपत्रित)	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	17	8	10	14	**49**	16	7	6	7	**36**
2	कृषि और सहयोग	636	533	599	4172	**5940**	421	354	395	2769	**3939**
3	पशुपालन और डेयरी	319	165	183	3194	**3861**	189	84	100	2024	**2397**
4	परमाणु ऊर्जा	11825	742	9730	14523	**36820**	11145	579	8626	10289	**30639**
5	आयुष	77	29	50	66	**222**	61	10	39	41	**151**
6	जैव प्रौद्योगिकी	72	40	49	86	**247**	53	23	40	56	**172**
7	मंत्रिमण्डल सचिवालय	65	51	100	143	**359**	60	45	83	112	**300**
8	रसायन, पेट्रो रसायन और औषध	70	45	65	209	**389**	60	39	62	165	**326**
9	नागर विमानन	808	85	559	947	**2399**	470	50	174	540	**1234**
10	कोयला	56	49	95	224	**424**	40	27	86	132	**285**
11	वाणिज्य	845	856	970	4200	**6871**	532	705	800	3462	**5499**
12	उपभोक्ता मामले	218	142	285	579	**1224**	170	110	158	364	**802**
13	कॉर्पोरेट मामला	455	175	709	1202	**2541**	297	114	424	462	**1297**
14	संस्कृति	206	269	259	7128	**7862**	211	231	260	6973	**7675**
15	रक्षा (नागरिक)	17405	38807	46132	483132	**585476**	17160	30576	28839	321847	**398422**
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	68	56	50	174	**348**	58	37	37	105	**237**
17	पेयजल और स्वच्छता	40	28	49	22	**139**	30	11	42	13	**96**
18	पृथ्वी विज्ञान	458	267	3840	2791	**7356**	250	83	2436	1504	**4273**
19	आर्थिक कार्य	376	183	238	665	**1462**	283	145	201	484	**1113**
20	पर्यावरण और वन	940	443	1038	2690	**5111**	732	233	544	1422	**2931**
21	व्यय	149	229	253	392	**1023**	111	166	190	178	**645**
22	विदेश मंत्रालय	2241	970	2425	2572	**8208**	2071	879	1774	2288	**7012**
23	उर्वरक	43	17	97	130	**287**	35	14	79	71	**199**

24	वित्तीय सेवाएं	299	51	495	855	**1700**	242	36	307	576	**1161**
25	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	231	84	303	510	**1128**	182	69	228	341	**820**
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	57	34	35	65	**191**	50	21	20	50	**141**
27	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2357	658	1035	17264	**21314**	2357	658	1035	17264	**21314**
28	भारी उद्योग	50	40	51	120	**261**	43	24	38	75	**180**
29	उच्चतर शिक्षा	274	222	240	528	**1264**	184	108	229	406	**927**
30	गृह मंत्रालय	24780	17005	34600	944246	**1020631**	20540	13041	27766	886919	**948266**
31	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा	723	18642	24063	20930	**64358**	570	14594	16680	12873	**44717**
32	औद्योगिक नीति और संवर्धन	313	184	272	1998	**2767**	239	140	209	1533	**2121**
33	सूचना और प्रसारण	473	592	719	3959	**5743**	318	378	578	2408	**3682**
34	सूचना प्रौद्योगिकी	3831	602	508	1590	**6531**	3629	536	434	892	**5491**
35	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन	26	13	21	13	**73**	24	6	14	12	**56**
36	श्रम और रोजगार	1170	412	1378	3808	**6768**	604	252	1040	2506	**4502**
37	भूमि संसाधन	36	33	22	31	**122**	30	11	12	24	**77**
38	विधि और न्याय	533	297	486	1254	**2570**	372	218	386	1002	**1978**
39	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	411	526	395	1638	**2970**	193	419	206	1002	**1820**
40	खान	4354	1000	3074	5627	**14055**	2796	619	1406	2753	**7574**
41	अल्पसंख्यक कार्य	64	31	62	88	**245**	42	19	46	73	**180**
42	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	124	54	33	85	**296**	77	21	37	77	**212**
43	पंचायती राज	32	23	30	39	**124**	20	15	19	13	**67**
44	संसदीय कार्य	24	21	45	59	**149**	22	12	35	50	**119**
45	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	1514	606	2538	6186	**10844**	1133	426	1774	5150	**8483**
46	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	57	64	72	104	**297**	45	50	64	55	**214**
47	योजना आयोग	245	135	132	192	**704**	186	104	108	180	**578**
48	डाक	621	354	8222	175221	**184418**	619	354	8222	175221	**184416**
49	विद्युत	532	96	626	600	**1856**	478	69	343	371	**1261**
50	राष्ट्रपति सचिवालय	37	41	68	200	**346**	26	39	63	143	**271**
51	प्रधानमंत्री कार्यालय	63	60	115	273	**511**	59	57	117	164	**397**
52	लोक उद्यम	33	13	22	51	**119**	26	9	11	23	**69**

53	रेलवे	13662	5318	620	1488094	**1507694**	11926	4032	565	1231800	**1248325**
54	राजस्व	12456	32395	34590	99492	**178933**	7848	25239	18022	49171	**100280**
55	सड़क परिवहन और राजमार्ग	303	62	180	198	**743**	286	50	154	150	**640**
56	ग्रामीण विकास	102	95	127	191	**515**	82	70	98	135	**385**
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	88	72	122	166	**446**	72	45	105	110	**332**
58	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	592	789	291	10505	**12177**	264	569	1647	2704	**5184**
59	नौवहन	371	156	620	1739	**2886**	203	154	427	1055	**1839**
60	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	142	103	227	234	**706**	108	75	170	207	**560**
61	अंतरिक्ष	7264	497	2703	4945	**15409**	7047	400	2380	2542	**12369**
62	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	1530	1841	2658	1262	**7291**	723	1599	1596	1165	**5083**
63	इस्पात	89	30	49	92	**260**	65	27	39	70	**201**
64	दूरसंचार	1056	1104	314	2154	**4628**	899	588	130	1106	**2723**
65	वस्त्र	260	201	853	3591	**4905**	172	149	487	1718	**2506**
66	पर्यटन	74	102	134	267	**577**	68	101	118	200	**487**
67	जनजातीय कार्य	76	42	47	145	**310**	60	31	41	109	**241**
68	संघ लोक सेवा आयोग	206	259	520	843	**1828**	161	129	433	555	**1278**
69	शहरी विकास	3323	831	5694	10407	**20255**	3101	992	4978	9044	**18115**
70	उपराष्ट्रपति सचिवालय	6	5	8	41	**60**	5	4	5	37	**51**
71	जल संसाधन	1742	1163	2678	5808	**11391**	1266	771	1426	3363	**6826**
72	महिला एवं बाल विकास	94	80	131	372	**677**	77	42	98	240	**457**
73	युवा कार्यक्रम और खेल	45	42	65	163	**315**	40	42	54	164	**300**
	कुल	**123932**	**131269**	**200080**	**3347498**	**3802779**	**104036**	**101936**	**139775**	**2773209**	**3116956**

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2275

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

आईटी और आईटीईएस कर्मचारी

2275. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटीईएस) के कर्मचारियों ने देश में अनुचित श्रम पद्धतियों से संरक्षण हेतु कोई मजदूर संघ गठित करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसे कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले क्षेत्रों में कार्यरत आईटीईएस/आईटी कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) जिन राज्यों में उक्त प्रकार के उल्लंघन की सूचना मिली है वहां यूनियनों/फोरमों द्वारा इनके समाधन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और

(ङ) भविष्य में ऐसे कर्मचारियों हेतु श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने के क्या प्रभाव होंगे?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ड.): "श्रम" समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अत: केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने संबंधित श्रम कानूनों के अनुसार कार्रवाई करती हैं। ट्रेड यूनियन संबंधित राज्य कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत किए जाते हैं। राज्यों में ट्रेड यूनियनों के गठन से संबंधित कोई सूचना तथा राज्यों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटान/ उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान से संबधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जातीं।

तथापि, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य के श्रम प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से समय-समय पर निरीक्षण कराता है तथा उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में उत्पन्न विवादों/शिकायतों को निपटान हेतु उन्हें सौंप देता है ताकि आईटी/आईटीईएस कर्मचारियों सहित कामगरों के हितों की रक्षा हो सके।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2309

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

खतरनाक व्यवसाय में बाल मजदूर

2309. श्री जगदम्बिका पाल:
श्री गौतम गंभीर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन प्रक्रियाओं सहित व्यवसायों/उद्योगों जिन्हें बाल मजदूरों के लिए खतरनाक अधिसूचित किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में ऐसे व्यवसायों में मारे गए बच्चों सहित कार्यरत बच्चों की वर्ष-वार और राज्य-वार लगभग संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान उक्त खतरनाक उद्योगों में कार्य संबंधी मौतों की संख्या का कोई आंकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अविध् के दौरान जिन बच्चों को बचाया गया है और उनका पुनर्वास किया गया है की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त उद्योगों में बाल कामगारों को कार्य पर नहीं लगाने की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): बाल श्रमिकों के लिए जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं सहित व्यवसायों/उद्योगों का विवरण अनुबंध-I और अनुबंध-II पर दिया गया है।

(ख): इस संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

(ग): जी नहीं।

(घ): राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के अंतर्गत स्थापित जिला परियोजना सोसायटियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान बाल श्रम के सभी स्वरूपों से कुल 320488 बच्चे छुड़ाए गए, और उनका पुनर्वास कराया गया तथा औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाया गया।

राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के संबंध में पिछले पांच वर्षों में किए गए निरीक्षणों के दौरान पता लगाए गए उल्लंघनों की संख्या, आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या तथा की गई अपराध-सिद्धियों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	उल्लंघन	अभियोजन	अपराध-सिद्धियां
2014	5595	2923	998
2015	4319	2481	748
2016	3993	1730	677
2017	1691	1276	695
2018	942	624	586
कुल	16540	9034	3704

(ङ): बाल श्रम गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और निरक्षरता जैसी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का परिणाम है। केन्द्रीय सरकार ने प्रतिबंध के बावजूद देश के विभिन्न भागों में चल रही बाल श्रम की प्रथा का संज्ञान लिया है तथा देश के सभी भागों से बाल श्रम की समस्या को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए, सरकार ने बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो 1.9.2016 से लागू हुआ। इस संशोधन अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष के आयु समूह के किशोरों के काम या नियोजन के पूर्ण निषेध का प्रावधान है। इस संशोधन में अधिनियम के उल्लंघन पर नियोजकों के लिए कड़े दण्ड का भी प्रावधान है तथा अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना(एनसीएलपी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को काम से मुक्त कराया/छुड़ाया जाता है और एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाए जाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि प्रदान की जाती है। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) के निकट समन्वय के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है। बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 26.9.2017 से एक पृथक ऑनलाइन पोर्टल पेन्सिल(पीईएनसीआईएल) (बाल श्रम मुक्ति के प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच) का सूत्रपात किया गया है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) (ii) के अनुसार, फिलहाल लागू श्रम कानूनों के उल्लंघन में जीवन-यापन करता हुआ पाया गया कोई बच्चा 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' के रूप में शामिल किया जाता है, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में इन बच्चों को संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख प्रदान करने के लिए सेवा प्रदानगी संरचनाओं का सुरक्षा आवरण अधिदेशित है। अधिनियम के कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व, वस्तुतः, राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों पर है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए 'बाल संरक्षण सेवाएं' (सीपीएस) (पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम) का कार्यान्वयन कर रहा है। सीपीएस के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों को कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों के स्थितिपरक विश्लेषण कराने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना और अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

**

****

अनुबंध-I

जोखिमपूर्ण व्यवसायों में बाल श्रमिकों के संबंध में श्री जगदम्बिकापाल और श्री गौतम गंभीर द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2309 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

जोखिमकारी व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं जिनमें किशोरों का काम करना तथा बच्चों का मदद करना निषेध है

(1) खानें और कोलियरी (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इनसे संबंधित कार्य,

(i) पत्थर खानें;

(ii) ईंटों की भट्ठियां;

(iii) इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सिलिका या भूमि से उत्कर्षित कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन, पिसाई, कटाई, विपाटन, पोलिश करना तथा प्रहस्तन शामिल है; अथवा

(iv) खुले गड्ढे की खानें।

(2) **ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे-**

(i) पटाखों का उत्पादन, भण्डारण या बिक्री;

(ii) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री, लादना, उतरना; अथवा

(iii) उत्पादन, प्रहस्तन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में ढालना, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से संबंधित कार्य तथा अन्य कोई प्रक्रिया से संबंधित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों; अथवा

(iv) ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उनके उप-उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन;

(v) प्राकृतिक गैस तथा अन्य संबंधित उत्पाद।

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट जोखिमकारी प्रक्रियाएं (क्रम संख्या (3) से(31) निम्नांकित हैं:-

(3) लौह धातुकर्म उद्योग

(i) एकीकृत लौह और इस्पात;

(ii) लौह-मिश्र धातु

(iii) विशेष इस्पात

(4) अलौह धातुकर्म उद्योग : प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, नामत: जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनिज और अल्मुनियम ।

(5) ढलाईखाना (लौह और अलौह) **:** कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा चिकना करना अथवा रेत और शॉट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदरा बनाना

(6) कोयला (कोक सहित) उद्योग :

(i) कोयला, लिग्नाहट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ;

(ii) इंधन केसेस (कोयला गैस, उतपादक गैस, जल गैस सहित)

(7) विद्युत उत्पादन उद्योग

(8) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग

(9) उर्वरक उद्योग

(i) नाइट्रोजनयुक्त

(ii) फॉस्फेटिक

(iii) मिश्रित

(10). सीमेंट उद्योग: पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पॉजजोलाना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित)

(11) पैट्रोलियम उद्योग:

(i) तेल शुद्धिकरण परिष्करण

(ii) स्नेहन तेल और ग्रीस

(12) पेट्रो-रसायन उद्योग

(13) दवा और औषधीय उद्योग-मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स

(14) किण्वन उद्योग (डिस्ट्रलरीज एवं ब्रेवरीज)

(15) रबर (सिंथेटिक उद्योग)

(16) पेंट और पिगमेण्ट उद्योग

(17) चमड़ा उद्योग

(18) इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग

(19) रासायनिक उद्योग

(i) कोक ओवन उप उत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद,

(ii) औद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसेटेलिन, ओर्गन, कार्बन डाईआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस;)

(iii) औद्योगिक कार्बन

(iv) क्षार और अम्ल

(v) क्रोमेट्स और डीक्रोमेटस;

(vi) शीशा और इसके यौगिक पदार्थ

(vii) इलैक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटैशियम ओर मैग्नेशियम, क्लोरेट्स, पराक्लोरेट्स और पैरोक्साइड्स)

(viii) इलेक्ट्रोथरर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक), कैलशियम कारबाइड)

(ix) नाइट्रोजन कम्पाउड (साइनाइड, साइनामाइड्स और नाइट्रोजन यौगिक पदार्थ

(x) फोरफोरस ओर इसके यौगिक पदार्थ;

(xi) हेलोजन्स और हेलोजीकृत यौगिक पदार्थ (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन)

(xii) विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटको और डिटोनेटर और फ्यूज सहित)

(20) कीट नाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाईयों के उद्योग

(21) संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक

(22) मानव निर्मित फाइवर (सेल्यूलोसिक और गैर सैल्यूलोसिक)उद्योग

(23) विद्युत एक्यूम्यूलेटरों का विनिर्माण और मरम्मत

(24) शीशा ओर सिरेमिक

(25) धातुओं की घिसाई या चमकाना

(26) एसबेसटोस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण

(27) वानस्पतिक और पशु स्त्रोतों से तेल और वसा की निकासी।

(28) बेनजीन और बेनजीन निहित पदार्थों का विनिर्माण , प्रहस्तन और प्रयोग

(29) कार्बन डाईसल्फाइट में संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन।

(30) डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम

(31) अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें

(32) रसायन विनिर्माण, संचयन और आयात नियम, 1989 की अनुसूची -I के भाग-II में यथाविनिर्दिष्ट जोखिम रसायन की प्रहस्तन और प्रकमण में निहित प्रक्रिया है।

(33) बूचडखानों और कसाईखानों में कार्य

(34) रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रभाव में डालने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाएं

(35) पोत विभंजन;

(36) नमक खनन या नमक बनाने का कार्य;

(37) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) केन्द्रीय नियम 1998 की अनुसूची-ix में विनिर्दिष्ट जोखिमपूर्ण प्रक्रियाएं ।

(38) तम्बाकू निर्माण, पेस्टिंग और ढुलाई या किसी औषधि अथवा नशीला पदार्थ या खाद्य प्रसंस्करण और बेवरीज उद्योग में किसी भी रूप में अल्कोहल और बार, पब पार्टियों और इसी प्रकार के अवसरों में काम करना जिनमें अल्कोहल पदार्थ परोसा जाता है।

अनुबंध-II

खिमपूर्ण व्यवसायों में बाल श्रमिकों के संबंध में श्री जगदम्बिकापाल और श्री गौतम गंभीर द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2309 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची जहां परिवार अथवा पारिवारिक उद्यम में बच्चों को सहायता के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है (भाग क के अतिरिक्त)

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय-

(1) रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना;

(2) रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;

(3) रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है;

(4) रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;

(6) ओटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;

(7) हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग

(8) प्लास्टिक इकाइयाँ एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;

(9) घरेलू कामगार अथवा नौकर;

(10) ढाबे (सड़क किनारे की खाने-पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट, अथवा

(11) गोताखोरी।

(12) सर्कस में कार्य।

(13) हाथियों की देखभाल।

(14) विद्युतचालित बेकरी मशीन, अथवा

(15) जूता निर्माण

प्रक्रियाएं

(1) कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है

(2) सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक

(3) कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है

(4) लाख/शीलैक विनिर्माण

(5) साबुन बनाना

(6) ऊन की सफाई;

(7) भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना तथा ढुलाई एवं संग्रहण, बढ़ईगिरि, राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;

(8) स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);

(9) अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य;

(10) काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया;

(11) इलैक्ट्रोनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने(सोल्ड्रिंग) की प्रक्रिया

(12) 'अगरबत्ती' का निर्माण;

(13) आटोमोबाईल मरम्मत और रख-रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है, वैल्डिंग इकाइयाँ लेथवर्क डेन्टिंग एवं पेन्टिंग;

(14) ईंटों या खपरैलों का निर्माण;

(15) रूई सूत की ओटाई और इसे दबाना, हौजरी का सामान बनाना;

(16) डिटरजेंट का निर्माण;

(17) फैबरिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नान फेरस);

(18) रत्न तराशना और उनकी पालिश करना;

(19) क्रोमाइट और मैंग्नीज अयस्कों का रख-रखाव;

(20) जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण;

(21) चूना भट्टा और चूना निर्माण;

(22) ताला बनाना;

(23) ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड की वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण(हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों मे सीसे का दाहन, खान सीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;

(24) सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना;

(25) काँच, कॉच के वर्तनों का निर्माण जिसमें चूड़ियाँ टयूबों, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य कॉच उत्पाद शामिल हैं;

(26) कीटनाशकों का निर्माण और उनका रख-रखाव;

(27) जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण जिसमें धातु साफ करना, फोटो उत्कीर्णन तथा टांका लगाना शामिल है;

(28) जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण;

(29) खेल-कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थैटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;

(30) तेल की पिराई और परिष्करण;

(31) कागज बनाना;

(32) चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग;

(33) पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है;

(34) ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहाँ फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है;

(35) आरा मिल- सभी प्रक्रियाएं;

(36) रेशम उद्योग प्रक्रिया

(37) चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं;

(38) टायर निर्माण, मरम्मत,री-ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण;

(39) बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना;

(40) 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी (सभी प्रक्रियाएं);

(41) ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रक्रिया;

(42) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना;

(43) हीरों की कटाई और पालिश;

(44) कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना;

(45) मशीनीकृत मछली पालन;

(46) खाद्य प्रसंस्करण;

(47) पेय पदार्थ उद्योग;

(48) मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पैंकिंग करने का कार्य;

(49) लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई;

(50) लकड़ी की यांत्रिक कटाई;

(51) भंडारागार कार्यकलाप;

(52) मसाज पार्लर जिमनेजियम अथवा अन्य मनोरंजक अथवा मेडिकल सुविधाएं केन्द्र;

(53) खतरनाक मशीनों के निम्नलिखित वर्गों से संबंधित प्रचालनों में -

(क) उत्तोलक एवं लिफ्ट

(ख) मशीनों को चढ़ाने, चैनों, रस्सियों एवं उत्तोलक विधि से जुड़ा कार्य

(ग) घूमने वाली मशीनें

(घ) विद्युत प्रक्रिया

(ङ) मेटल ट्रेड से ज़डे मशीने टूल्स

(54) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उप-खंड (iv) में मुद्रण के अनुसार अर्थात छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रैस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेवर अथवा अन्य समान प्रक्रिया अथवा बुक बाइंडिंग का कार्य"।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2321
सोमवार, 08 जुलाई, 2019/7 आषाढ़, 1941 (शक)

रोजगार सृजन के लिए योजना

2321. श्री संजय काका पाटीलः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में युवाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन हेतु कोई योजना बनाने का है;
(ख) क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक सहयोग के माध्यम से एक नया रोजगार सृजन कार्यक्रम का कोई प्रस्ताव है; और
(ग) क्या देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई प्रावधन करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2372

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

विदेश में ईपीएफओ योजना छूट

2372. श्री बालक नाथ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी/भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने विदेश में कार्य कर रहे भारतीयों को उस देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को छोड़कर ईपीएफओ द्वारा कवर करवाए जाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई व्यवस्था से सरकार के साथ कितने देश सहमत हैं; और

(घ) भारतीयों को इस योजना से क्या लाभ होगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): यह सुविधा उन भारतीय कामगारों के लिए है जो अपने नियोक्ता द्वारा उन देशों में प्रतिनियुक्त हैं, जिनके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) प्रारंभ किया है और वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कवरेज प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ़ कवरेज) (सीओसी) लेते हैं।

(ग): भारत ने 18 राष्ट्रों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) प्रारंभ किया है, नामत: –

(i) ऑस्ट्रेलिया, (ii) ऑस्ट्रिया, (iii) बेल्जियम, (iv) कनाडा, (v) चेक गणराज्य, (vi) डेनमार्क, (vii) फिनलैंड, (viii) फ्रांस, (ix) जर्मनी, (x) हंगरी , (xi) जापान, (xii) रिपब्लिक ऑफ कोरिया (दक्षिणी कोरिया), (xiii) लक्ज़मबर्ग, (xiv) नीदरलैंड, (xv) नॉर्वे, (xvi) पुर्तगाल, (xvii) स्वीडन, और (xiiii) स्विट्जरलैंड।

(घ): अन्य बातों के साथ-साथ महत्वपूर्ण लाभ जो सामाजिक सुरक्षा समझौता के तहत उपलब्ध हैं:

1. अलगाव: एक भारतीय जिसने भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में योगदान दिया हो और सर्टिफिकेट ऑफ़ कवरेज प्राप्त किया हो उसे एस.एस.ए देश के सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में योगदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. समग्रता: एसएसए देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत सेवा अवधि/अंशदायी अवधि को पेंशन की पात्रता निर्धारित करने के लिए भारत में सेवा अवधि में जोड़ा जा सकता है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2413

सोमवार, 8 जुलाई, 2019 / 17 आषाढ़ 1941 (शक)

श्रम सुधार विधेयक

2413. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री राजन विचारे:
श्री विनायक राऊत:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रम सुधार हेतु नया विधेयक लाने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को चार बड़ी संहिताओं मजदूरी, औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों में बांट दिया है तथा यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का ईएसआई, ईपीएफ को समाप्त करने और अन्य केन्द्रीय योजनाओं के साथ विलय करने और सामाजिक सुरक्षा निधि का निजीकरण करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यापार को सुगम बनाने के नाम पर 70 प्रतिशत श्रमिक कवरेज से बाहर रह जाएंगे तथा यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित श्रम सुधारों के संबंध में मजदूर संघों से परामर्श किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में मुख्य मजदूर संघों का क्या दृष्टिकोण है तथा सरकार द्वारा मजदूर संघों की चिंताओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या विभिन्न मजदूरों संघों ने ऐसे संशोधन का विरोध किया है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त चिंताओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है? और

(च) क्या नई श्रम नीति द्वारा देश में संगठित/असंगठित श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करके उद्योग के हितों का ध्यान रखने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): मंत्रालय ने विद्यमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरलीकृत, समामेलित एवं तर्कसंगत बनाकर क्रमश: मजदूरी; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं से संबंधित चार श्रम संहिताओं के प्रारूपण हेतु उपाय किए हैं। इन 4 श्रम संहिताओं में मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य और कामगारों के लिए शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित प्रावधान निहित हैं। इन पहलों से कामगारों को मजदूरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और सभ्य कार्यदशाएं प्रदान किए जाने की आशा है। तथापि, वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निमग

(ईएसआईसी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का विघटन करके अन्य किसी केन्द्रीय योजना के साथ विलय करने और तथा सामाजिक सुरक्षा निधि का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): जी, नहीं।

(घ) से (छ): श्रम संबंधी विधायी सुधारों की प्रकिया में त्रिपक्षीय परामर्श के रूप में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता एसोसिएशानों और राज्य सरकारों सहित हितधारकों के साथ परामर्श शामिल है। इसके अलावा प्रारूप श्रम संहिताओं को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है और आम जनता सहित सभी हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव मांगे गए हैं। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर विचार करने के बाद प्रारूप विधानों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रस्तावित श्रम सुधार पहलों से श्रम कानूनों की बहुलता के कारण अनुपालन की जटिलता में कमी आएगी और उद्यमों को स्थापित करने में सुविधा मिलेगी और इससे देश में व्यवसाय तथा उद्योग के विकास के लिए वतावरण बनेगा तथा कामगारों की संरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के मूल पहलुओं को कमजोर किए बिना रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2432

सोमवार, 8 जुलाई, 2019 / 17 आषाढ़ 1941 (शक)

ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की सुपुर्दगी करने वाले कर्मचारी

2432. श्री हिबी इडन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की सुपुर्दगी करने वाले कर्मचारियों से उनकी न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कर्मचारियों को कोई विशेष बीमा प्रदान किया गया है अथवा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है चूंकि इन्हें अपना कार्य समय पर पूरा करने के लिए दबाव में काम करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के संरक्षण और इनकी न्यूनतम मजदूरी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आनेवाले अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, समीक्षा और संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केंद्रीय क्षेत्र में निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खान, तेल क्षेत्र, मुख्य पत्तन अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम के प्राधिकरण के अंतर्गत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। केंद्रीय परिधि में अनुसूचित नियोजन को छोड़कर अन्य नियोजन राज्य सरकार के

दायरे में आते हैं और तदनुसार राज्य सरकार की निर्धारित मजदूरी ऐसी नियोजनों पर लागू होती हैं।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना को आरम्भ किया है, जो कि 18-40 वर्ष की आयु के 15000/- रूपये तक की मासिक आय वाले असंगठित कामगारों के लिए एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है। उन्हें न तो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस का सदस्य होना चाहिए और न ही आयकरदाता। इसमें व्यक्ति की प्रविष्टि आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55/- रुपये से 200/- रुपये रहता है। यह योजना 50:50 अंशदान पर आधारित है। केंद्र सरकार भी लाभार्थी के पेंशन खाते में समान अंशदान करती है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अंशदाता 3000/- रूपये का सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र हो जाता है।

(ङ): केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का क्रियान्वयन किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में इसका प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में सामान्यत: नामित मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। राज्य क्षेत्र में इसका अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2466

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 (शक)

ईपीएफओ द्वारा प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा

2466. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में नियोजित कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निजी क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को ईपीएफओ के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कर्मचारी नामांकन/अभियान शुरू किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 1(3) अनुसार, यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू है:

i. प्रत्येक ऐसा प्रतिष्ठान, जो अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी भी उद्योग कार्यरत कारखाना है जिसमें बीस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, तथा

ii. ऐसा अन्य प्रतिष्ठान जिसमें बीस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या ऐसे प्रतिष्ठानों का वर्ग जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचित करती है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त न करने वाले निजी क्षेत्र में नियोजित कामगारों की संख्या का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभों के विस्तार को बढ़ाने के लिए, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 01.01.2017 से 30.6.2017 तक की अवधि के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान प्रारम्भ किया गया था।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2467

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 (शक)

बीड़ी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

2467. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों हेतु लागू की जा रही योजनाओं का राज्य-वार और नाम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस तरह की योजनाओं के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों को उनके क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा बीड़ी श्रमिकों के संबंध में मामलों पर चर्चा करने और उनके लिए अनुशंसा करने हेतु आयोजित बैठकें का ब्यौरा क्या है और इस पर मंत्रालय/सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

(i) बीड़ी/चूना पत्थर और डोलोमाइट खान/लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क खान/मीका माइन्स/सिने कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु योजना।

<table>
<tr><td>योजना</td><td colspan="4">सहायता की प्रकृति</td></tr>
<tr><td rowspan="9">बीड़ी/चूना पत्थर और डोलोमाइट खान/लौह अयस्क/मैंग नीज अयस्क/क्रोम अयस्क खान/मीका माइन्स/सिने कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु योजना</td><td colspan="4">प्रति वर्ष प्रति छात्र निम्नलिखित दरों पर कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">समूह</td><td rowspan="2">कक्षा</td><td colspan="2">दर</td></tr>
<tr><td>लड़की</td><td>लड़का</td></tr>
<tr><td>समूह I</td><td>कक्षा I से IV</td><td>250</td><td>250</td></tr>
<tr><td>समूह II</td><td>कक्षा V से VIII</td><td>940</td><td>500</td></tr>
<tr><td>समूह III</td><td>कक्षा IX</td><td>1140</td><td>700</td></tr>
<tr><td>समूह IV</td><td>कक्षा X</td><td>1840</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>समूह V</td><td>कक्षा XI से XII</td><td>2440</td><td>2000</td></tr>
<tr><td></td><td>आईटीआई</td><td>10000</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>समूह VI</td><td>गैर व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम; गैर व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ; दो-तीन वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम और बीसीए,बीबीए
एवं पीजीडीसीए</td><td>3000</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>समूह VII</td><td>व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम जैसे बी.ई./बी.टेक/ एमबीबीएस/ बीएएमएस/बीयू एमएस/ बीएससी (कृषि) और एमसीए/ एमबीए</td><td>15000</td><td>15000</td></tr>
</table>

II. संशोधित समेकित आवासीय योजना (आरआईएचएस), 2016:

बीड़ी कामगारों के लिए संशोधित समेकित आवासीय योजना (आरआईएचएस), 2016 मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन के 17 कल्याण आयुक्तों के कार्यालय के माध्यम से देश में लागू की जा रही है। 1,50,000/- रूपये की आवासीय सहायकी 25:60:15 के अनुपात में तीन किश्तों में संवितरित की जाती है।

III. **स्वास्थ्य योजनाएं:**

देश भर के 12 अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के अलावा, बीमारियों की कुछ श्रेणियों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:-

क्र.सं.	उद्देश्य	उद्देश्य की प्रकृति
1	(तपेदिक) ट्यूबरोक्लोसिस	कामगारों के लिए टी,बी. अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण और अधिवास उपचार। उपचार करने वाले चिकित्सक की सलाह के अनुसार 750/- रुपये से 1000/- रुपये प्रति माह का जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है।
2	हृद्य रोग	कामगारों को 1,30,000/- रुपये तक के खर्च की प्रति पूर्ति।
3	किडनी प्रत्यारोपण	कामगारों को 2,00,000/- रुपये तक के खर्च की प्रति पूर्ति।
4	कैंसर	सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के माध्यम से कामगारों या उनके आश्रितों द्वारा उपचार, औषधीय सामग्री और भोजन पर किए गए वास्तविक खर्च की प्रति पूर्ति।
5	हर्निया, एपेन्डेक्टॉमी, अल्सर गाइनेकोलॉजिकल बीमारियों और प्रोस्ट्रेट रोगों जैसी मामूली सर्जरी।	कामगारों को 30,000/- रुपये तक के खर्च की प्रति पूर्ति।

IV. बीड़ी कामगारों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जीविका के व्यवहार्य वैकल्पिक स्रोतों के लिए रोजगार के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए बीड़ी श्रमिकों का कौशल विकास के लिए कार्रवाई शुरू की है।

(ख): गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई राशि का राज्यवार और योजनावार विवरण निम्नानुसार है:

2016-17

(हज़ार रूपये में)

क्षेत्र	स्वास्थ्य		छात्रवृत्ति		आवास	
	बजट अनुमान	उपयोग /व्यय	बजट अनुमान	उपयोग /व्यय	बजट अनुमान	उपयोग /व्यय
मुख्यालय	**0**	**0**	0	**150812**	**551200**	**0**
अजमेर	**53593**	**50708**	**29390**	**10**		**975**
इलाहाबाद	**78141**	**86362**	**21219**	**6152**		**8960**
बंगलुरु	**169351**	**150656**	**210050**	**128392**		**3915**
भुवनेश्वर	**72117**	**77793**	**56730**	**166**		**121925**
हैदराबाद	**152758**	**176337**	**234198**	**261404**		**0**
जबलपुर	**154565**	**135279**	**26077**	**3**		**18820**
रांची	**106886**	**93458**	**14910**	**65**		**15220**
कोलकाता	**114546**	**101904**	**241810**	**230765**		**30300**
नागपुर	**65552**	**72213**	**41116**	**199**		**3272**

2017-18

(हज़ार रूपये में)

क्षेत्र के नाम	स्वास्थ्य		छात्रवृत्ति		आवास	
	बजट अनुमान	व्यय / उपयोग	बजट अनुमान	व्यय / उपयोग	बजट अनुमान	व्यय / उपयोग
मुख्यालय	**200600**	**0**	**814574**	**123601**	**609600**	**0**
अजमेर	**79226**	**51306**	**1268**	**12**		**39056**
इलाहाबाद	**114456**	**75876**	**1111**	**57**		**11056**
बंगलुरु	**176974**	**151504**	**13459**	**40055**		**100**
भुवनेश्वर	**100983**	**75514**	**2066**	**626**		**14888**
हैदराबाद	**272723**	**173019**	**1358**	**16602**		**412**
जबलपुर	**192105**	**144050**	**2062**	**1853**		**113**
रांची	**118304**	**83687**	**1091**	**52**		**863**
कोलकाता	**176573**	**102076**	**11064**	**56**		**184533**
नागपुर	**85435**	**56236**	**1057**	**300**	**9032**	**73658**

2018-19

(हज़ार रूपये में)

	स्वास्थ्य		छात्रवृत्ति		आवास	
	बजट अनुमान	व्यय / उपयोग	बजट अनुमान	व्यय / उपयोग	बजट अनुमान	व्यय / उपयोग
मुख्यालय	0	0	492100	289480	71564	0
अहमदाबाद	66938	1022	50	0	73929	54908
अजमेर	34360	503	0	0	41370	38963
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
देहरादून	975	0	0	0	1500	0
इलाहाबाद	12188	5622	0	0	11251	10501
कन्नूर	6638	2677	0	172	5738	5738
बंगलुरु	20375	15539	500	45758	17213	16539
बारबिल	350	1333	0	0	0	0
बीबीएसआर	45451	11300	1075	909	43372	43109
तिरुनेलवेली	15010	8085	0	62144	12348	12408
कलिचेदु	0	0	0	0	0	0
हैदराबाद	13650	14759	150	8872	9075	8738
रायपुर	3858	1948	1175	860	3728	3563
इंदौर	0	0	0	0	0	0
जबलपुर	43625	6026	2150	2069	42913	42401
पटना	8130	1371	0	0	7208	7148
बरजमादा	0	18	0	0	0	0
कर्मा	17410	2285	0	0	16388	14176
गुवाहाटी	0	0	0	0	113	203
कोलकाता	153140	3420	10	0	187715	110325
नागपुर	53602	9353	1590	1812	72975	86761

क्षेत्र	स्वस्थ्य	छात्रवृत्ति	आवास
मुख्यालय	**0**	**22500**	**20900**
अहमदाबाद	**120**	**100**	**12000**
अजमेर	**230**	**0**	**1000**
चंडीगढ़	**0**	**0**	**0**
देहरादून	**25**	**0**	**800**
इलाहाबाद	**950**	**0**	**0**
कन्नूर	**300**	**0**	**0**
बैंगलोर	**1250**	**975**	**180**
भुवनेश्वर	**1275**	**300**	**450**
तिरुनेलवेली	**1187**	**0**	**0**
हैदराबाद	**2050**	**25**	**0**
रायपुर	**263**	**300**	**200**
जबलपुर	**400**	**350**	**290**
पटना	**645**	**0**	**0**
कर्मा	**545**	**0**	**1500**
गुवाहाटी	**0**	**0**	**180**
कोलकाता	**1000**	**0**	**3000**
नागपुर	**960**	**50**	**2500**

(ग): 12 अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से बीड़ी कामगारों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान कराई जाती है।

(घ): गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों से संबंधित परामर्शदात्री समिति की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

******

भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2904

उत्तर देने की तारीख 10 जुलाई, 2019 (बुधवार)

19 आषाढ़, 1941 (शक)

प्रश्न

उत्तर पूर्वी राज्यों में रिक्त पद

2904. श्री एम. बदरुद्दीन अज़मल:

क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की श्रेणी-वार स्वीकृत संख्या और मौजूदा संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों से खाली पड़े पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में रिक्तियों क भरने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3436

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

सार्वभौमिक खाता संख्या को आधार से जोड़ना

3436. श्री हिबी इडन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफओ ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के भविष्य अंशदान को कर्मचारी पीएफ खाते में जमा करने और कर्मचारी के पीएफ खातों में ब्याज जमा करने तथा कर्मचारी पीएफ खातों के अंतरण और निकासी के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या को (यूएएन) आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त में प्रत्येक के लिए ईपीएफओ के परिपत्र या आदेश संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ, ईपीएफ, खाताधारकों के यूएएन को आधार से नहीं जोड़ने की स्थिति में ईपीएफओ द्वारा दी गई किसी भी सेवा का लाभ उठाने से रोकता है और यदि हां, तो यूएएन को आधर से न जोड़ने के लिए ईपीएफओ द्वारा न दी जाने वाली सेवाओं की सूची क्या है और उक्त से संबंधित ईपीएफओ परिपत्र या आदेश संख्या क्या है;

(घ) क्या ईपीएफओ ने किसी कंपनी या संगठन जिसके कर्मचारियों ने अपने यूएएन को आधार से लिंक नहीं किया है के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों की सूची क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपरोक्त (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग): जी, नहीं।

(घ) और (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्यों/पेंशनभोगियों द्वारा ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यूएएन में केवाईसी (आधार, बैंक खाता और आयकर पैन) के साथ अन्तःसंबद्ध करने का अभियान आरंभ किया है। हालांकि, प्रतिष्ठानों द्वारा केवाईसी जमा नहीं करने के कारण ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 181 अभियोजन मामले दायर किए गए हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3439

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

शेयर बाजार में ईपीएफओ निधियां

3439. श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की धनराशि को निजी क्षेत्र में गैर-बैंकिंग कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्होंने अभी तक बेहतर लाभ दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त औसत मुनाफों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय न्यासी बोर्ड और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आज की तिथि के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है और इसके क्या प्रभाव रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): इक्विटी में निवेश के संबंध में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) केवल निफ्टी 50, सेंसेक्स, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) और भारत 22 इन्डसिज़ के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश कर रहा है। इन ईटीएफ में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के व्यवसाय-प्रतिष्ठान शामिल हैं और इसमें बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों संस्था भी शामिल हैं।

(ख): सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग): दिनांक 23.04.2015 को सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश प्रतिमान के अनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिनांक 31.03.2015 को आयोजित अपनी 207वीं बैठक में इक्विटी और संबंधित निवेशों की श्रेणी में केवल ईटीएफ में निवेश करने का निर्णय लिया है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

पेंशन में संशोधन

3451. श्री कानुमुरू रघुराम कृष्णराजू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन में संशोधन चाहने वाले पेंशनभोगियों के दावों को रोक लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

***

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3494

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

ईपीएफओ में अदावाकृत धनराशि

3494. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2016 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निनि संगठन (ईपीएफओ) में देश के गरीब मजदूरों से संबंधित बड़ी राशि अदावाकृत पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त अदावाकृत धनराशि को उसके वास्तविक लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक और उचित कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वास्तविक लाभार्थियों द्वारा अब तक कितनी धनराशि प्राप्त की गई है और शेष राशि कब तक प्राप्त की जाएगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कोई भी अदावाकृत राशि नहीं है। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार कुछ खाते 'निष्क्रिय खातों' के रूप में वर्गीकृत हैं। ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के हालांकि निश्चित दावेदार हैं।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3585

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की कार्यदशा

3585. डॉ. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सहित देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की कार्यदशा में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसी कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन योजनाओं का लाभ उक्त कामगारों को प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इसे कार्यान्वित किया है। इस अधिनियम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता कवर, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित विषय पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन एवं अशक्तता छत्र प्रदान किया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें समान भाग में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं मातृत्व हितलाभ पर आयुष्मान भारत योजना में ध्यान दिया जाता है। मासिक पैंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में न्यूनतम 3000/-रू. की सुनिश्चित पैंशन 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अंसगठित कामगारों को दी जाएगी। निर्धारित मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा और इसके समनुरूप अंशदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है। भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसी कल्याणकारी योजना सामान्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार का असंगठित क्षेत्र कामगारों को संगठित क्षेत्र के कामगारों के समान यथा उपलब्ध हितलाभ प्रदान करने का सतत प्रयास रहा है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3615
सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

3615. श्री जी॰ एम॰ सिद्देश्वराः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत सरकार इसकी शुरूआत से ही रोजगार का सृजन करने में सफल रही है; और यदि हां, तो लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र/माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार यह विज्ञापन कर रही है कि मासिक आधार पर पीएमआरपीवाई के माध्यम से 5.5 लाख लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा; यदि हां, तो इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। इस योजना के अंतर्गत 31.03.2019 को लाभार्थियों की कुल संख्या 1,18,05,003 थी। राज्य-वार एवं क्षेत्र/उद्योग-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-I एवं II में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, जोड़े गए लाभार्थियों की कुल संख्या 87,46,888 है, जिसकी औसत प्रतिमाह 7 लाख से अधिक लाभार्थी है। लाभार्थियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	लाभान्वित कर्मचारी
2016-17	33031
2017-18	3025084
2018-19	8746888
योग	11805003

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 15.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3615 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

लाभान्वित कर्मचारियों की राज्य/संघ क्षेत्र-वार संख्या

राज्य	01-अगस्त -2016 से 31-मार्च-2019 के दौरान लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	936445
असम	10755
बिहार	123462
चंडीगढ़	189072
छत्तीसगढ	128739
दिल्ली	748149
गोवा	24218
गुजरात	1028838
हरियाणा	970736
हिमाचल प्रदेश	127401
झारखंड	66668
कर्नाटक	1151215
केरल	196802
मध्य प्रदेश	335672
महाराष्ट्र	2106405
ओडिशा	135912
पंजाब	190968
राजस्थान	449223
तमिलनाडु	1417808
उत्तर प्रदेश	828678
उत्तराखंड	286607
पश्चिम बंगाल	351230
योग	11805003

स्रोत: ईपीएफओ, श्रम और रोजगार मंत्रालय

<u>अनुबंध-</u> **II**

लोक सभा के दिनांक 15.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3615 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

01-अगस्त -2016 से 31-मार्च-2019 तक उद्योग-वार पीएमआरपीवाई का विवरण

शीर्ष 10 क्षेत्र		
क्र.स.	उद्योग	लाभान्वित कर्मचारी
1	विशेषज्ञ सेवाएं	4706945
2	ट्रेडिंग - व्यावसायिक संस्थान	809949
3	कपड़ा	779321
4	भवन एवं निर्माण उद्योग	757435
5	वस्त्र बनाना	618104
6	इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सामान्य इन्जीनियरी	617404
7	इंजीनियर्स – इन्जीनियरी ठेकेदार	420944
8	वित्तपोषण प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान	253498
9	सफाई, झाड़-पोंछ सेवाओं में संलग्न प्रतिष्ठान	209364
10	अस्पताल	191407

स्रोत: ईपीएफओ, श्रम और रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3621

सोमवार, 15 जुलाई, 2019 / 24 आषाढ़ 1941 (शक)

ईपीएफओ के अंतर्गत शामिल कार्यबल

3621. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. हिना गावीत:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल कामगार वर्ग में से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशतता कितनी है;

(ख) देश में ईपीएफओ के नए कार्यालय खोलने हेतु अनुपालित नीति/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ ने बेरोजगार अंशदाताओं हेतु राशि-आहरण के संदर्भ में नियमों में परिवर्तन किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परिवर्तित नियमों से बेरोजगार अंशदाताओं को क्या लाभ मिला है; और

(घ) ईपीएफ के अंतर्गत लंबित दावों के त्वरित निपटान हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और इसकी क्या उपलब्धियां हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1(3) के अनुसार, यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होता है:

(i) ऐसे प्रतिष्ठान पर जो अधिनियम की अनुसूची-I विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में कार्यबद्ध कारखाना हो तथा जिसमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हों; तथा

(ii) 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान वर्ग पर जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करे।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत नियोजक और अधिकांश कर्मचारियों की सहमति से यह अधिनियम प्रतिष्ठान पर स्वैच्छिक रूप से लागू किया जा सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत मई, 2019 माह में 4.34 करोड़ अंशदायी सदस्य हैं।

(ख): कार्यालय खोलने हेतु लागू विद्यमान नीति राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर आधारित है जिसका अनुमोदन वर्ष 1999 में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की कार्यकारी समिति, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा किया गया था। इसके साथ ही कार्यालय खोलने का निर्णय लेने के मानदण्ड प्रतिष्ठानों और अभिदाताओं, प्रवर्तन मानदंडों जैसे, प्रतिष्ठानों की व्याप्ति, चूककर्ता और लंबित अभियोजन मामलों तथा अंत में दावों के कार्यभार और दावों के निपटानों जैसे सेवा मानदंडों के संबंध में सांख्यिकीय डेटा पर आधारित हैं।

(ग): एक माह तक की लगातार अवधि तक बेरोजगार रहे सदस्य को भविष्य निधि में उसके खाते में पड़ी राशि में से 75% तक का लाभ उठाने के समर्थ बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में पैरा 68जज अंत:स्थापित किया गया है।

(घ): दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) ईपीएफओ ने खातों के समेकन/सुवाह्यता के लिए सार्वभौम खाता संख्याएं (यूएएन) आबंटित की हैं;

(ii) पूर्वगत बहुविध फॉर्म सं. 19, 10ग और 31 के स्थान पर आधार और गैर-आधार दोनों के लिए एकल पृष्ठीय संयुक्त दावा फॉर्म पेश किया गया है;

(iii) निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा कतिपय दस्ती प्रक्रियाएं समाप्त कर दी गई हैं;

(iv) अभिदाताओं के समस्त भुगतान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। इसी प्रकार, नियोजकों द्वारा सभी भुगतान इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं;

(v) कर्मचारियों हेतु ईपीएफओ की सेवाओं का भी एकीकरण किया गया है तथा भारत सरकार की पहल, आधुनिक शासन (उमंग) अनुप्रयोग हेतु संयुक्त चल अनुप्रयोग के माध्यम से पेश की गई हैं। यह अनुप्रयोग सदस्य को उसकी पासबुक तक पहुंच रखने, दावे की स्थिति का पता लगाने, ऑनलाइन दावा फॉर्म तथा पेंशनधारकों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के समर्थ बनाता है; तथा

(vi) ऑनलाइन रीति के माध्यम से दावा फॉर्म जमा करने का विकल्प पेश किया गया है।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3625

सोमवार, 15 जुलाई, 2019 / 24 आषाढ़ 1941 (शक)

पीएफओ के नए कार्यालय खोलना

3625. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नये कार्यालय खाले जाने के लिए अपनाई जा रही नीतियों/दिशानिर्देशों का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा खोले गए उपयुक्त नए कार्यालयों की राज्य-वार संख्या और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ ने बेरोजगार अंशदाताओं द्वारा निकासी किए जाने के संबंध में निकासी नियमों में संशोधन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इन संशोधित नियमों से बेरोजगार उपभोक्ताओं को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) ईपीएफओ के अंतर्गत लंबित दावों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा इसकी क्या उपलब्धि रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कार्यालय खोलने हेतु लागू विद्यमान नीति राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर आधारित है जिसका अनुमोदन वर्ष 1999 में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की कार्यकारी समिति, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा किया गया था। इसके साथ ही कार्यालय खोलने का निर्णय लेने के मानदण्ड प्रतिष्ठानों और अभिदाताओं, प्रवर्तन मानदंडों जैसे, प्रतिष्ठानों की व्याप्ति, चूककर्ता और लंबित अभियोजन मामलों तथा अंत में दावों के कार्यभार और दावों के निपटानों जैसे सेवा मानदंडों के संबंध में सांख्यिकीय डेटा पर आधारित हैं।

(ख): पिछले तीन वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कोई नया कार्यालय नहीं खोला गया है। तथापि, सीबीटी ने 19 दिसम्बर, 2016 को सम्पन्न 215वीं बैठक में संगठनात्मक और संवर्ग पुनर्संरचना संबंधी सीबीटी की उप-समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया है जो

सितम्बर, 2016 में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कार्यान्वित की गई हैं। संगठनात्मक पुनर्संरचना के भाग के रूप में, अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले ईपीएफ अभिदाताओं और अन्य हितधारकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए 81 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का उन्नयन क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में किया गया है। इसके अलावा, 117 निरीक्षणालयों का उन्नयन जिला कार्यालयों के रूप में किया गया है।

(ग): एक माह तक की लगातार अवधि तक बेरोजगार रहे सदस्य को भविष्य निधि में उसके खाते में पड़ी राशि में से 75% तक का लाभ उठाने के समर्थ बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में पैरा 68जज अंत:स्थापित किया गया है।

(घ): दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) ईपीएफओ ने खातों के समेकन/सुवाह्यता के लिए सार्वभौम खाता संख्याएं (यूएएन) आबंटित की हैं;

(ii) पूर्वगत बहुविध फॉर्म सं. 19, 10ग और 31 के स्थान पर आधार और गैर-आधार दोनों के लिए एकल पृष्ठीय संयुक्त दावा फॉर्म पेश किया गया है;

(iii) निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा कतिपय दस्ती प्रक्रियाएं समाप्त कर दी गई हैं;

(iv) अभिदाताओं के समस्त भुगतान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। इसी प्रकार, नियोजकों द्वारा सभी भुगतान इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं;

(v) कर्मचारियों हेतु ईपीएफओ की सेवाओं का भी एकीकरण किया गया है तथा भारत सरकार की पहल, आधुनिक शासन (उमंग) अनुप्रयोग हेतु संयुक्त चल अनुप्रयोग के माध्यम से पेश की गई हैं। यह अनुप्रयोग सदस्य को उसकी पासबुक तक पहुंच रखने, दावे की स्थिति का पता लगाने, ऑनलाइन दावा फॉर्म तथा पेंशनधारकों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के समर्थ बनाता है; तथा

(vi) ऑनलाइन रीति के माध्यम से दावा फॉर्म जमा करने का विकल्प पेश किया गया है।

*****

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

******

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं 4023

(बुधवार, 17.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

पेंशनभोगियों के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयां

4023. श्री सुनील कुमार पिंटू:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगेकि:

(क) क्या देश में पेंशनभोगियों को सेवानिवृतकर्मचारियों की पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मेंविसंगतियों के कारण और उनकी समस्या के समयपर निवारण के लिए उचित मंच की अनुपलब्धता के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ताहै;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विसंगतियों को दूरकरने के लिए आसान और सरल उपाय किए जारहेहैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) :पेंशन संस्वीकृति और भुगतान प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने तथा सुदृढ करने के लिए हाल के वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन संस्वीकृति एवं भुगतान के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली 'भविष्य' शुरू की। प्रत्येक पेंशन मामले की प्रगति पर नजर रखते हुए तथा गहन अनुवीक्षण द्वारा इसने इस प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व ला दिया है जिससे विलंब की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। वर्तमान में यह प्रणाली 791 संबद्ध कार्यालयों सहित 93 मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सचिवालय में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है।

पेंशन संबंधी शिकायतों से संबंधित निवारण प्रणाली को सुदृढ करने के लिए विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:

1) **केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू):**

जारी...2/-

- **सीपेनग्राम्स** एक केंद्रीकृत वेब-समर्थित पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है जिसे पेंशनभोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी के लिए वर्ष 2007 में शुरू किया गया था।
- इसमें निम्नलिखित सुविधाएं हैं:-
  - पेंशन शिकायतों का 24X7 आधार पर पंजीकरण उपलब्ध
  - संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अनुस्मारकों का अग्रेषण
  - पंजीकृत शिकायत की स्थिति के संबंध में पूछताछ
  - संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा
- शिकायतों के पंजीकरण को और अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए माननीय राज्य मंत्री (पीपी) द्वारा पेंशनभोगियों हेतु 20 जून, 2019 को जनपथ भवन में टॉल फ्री नंबर (1800-11-1960) के साथ एक नया कॉल सेंटर शुरू किया गया है।
- शिकायतों को दर्ज करने के लिए विभाग का एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है।
- विभाग ने 18 सितंबर, 2018 को अखिल भारतीय पेंशन अदालत का भी आयोजन किया जिसमें पेंशनभोगियों की 9368 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

2) **केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के संबंध में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ):** डिजिटल भारत अभियान के अंतर्गत, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के सशक्तिकरण के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए जो निम्निलखित हैं:-

- दिनांक 01.03.2018 को इलेक्ट्रॉनिक पेंशन अदायगी आदेश (ई-पीपीओ) की शुरूआत की गई और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) से 39 सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) में डिजिटली हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल सील अथॉरिटी (ई-एसएसए) का कागज रहित संचलन चालू है और सभी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) स्पेशल सील अथॉरिटी तथा पेंशन संशोधन के मामलों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करवा रहे हैं। इससे पेंशन के भुगतान की प्रोसेसिंग में अधिक तेजी आई है और लिपिकीय त्रुटियां कम हो गई हैं।
- वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स सर्विस (डब्ल्यूआरपीएस) पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) की एक सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल है जो विगत 24 माह के लिए पेंशन अदायगी सूचना, ऑनलाइन पेंशन प्रोसेस ट्रैकिंग और शिकायत की स्थिति की खोज-खबर रखने की सुविधा के साथ ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और निवारण सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है।

3) **रक्षा पेंशनभोगियों के संबंध में रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए):**

- पीसीडीए(पी) इलाहाबाद में टॉल फ्री नंबर 1800-180-5325 के साथ एक समर्पित कॉल सेंटर स्थापित किया गया है जहां भूतपूर्व सैनिक फोन पर अपने प्रश्नों का हल पा सकते हैं।
- प्रोजेक्ट "सुविज्ञा" नामक पेंशन पूछताछ प्रणाली इंटरनेट पर उपलब्ध है जो पेंशनभोगी को अपनी पात्रताओं की जांच करने में समर्थ बनाती है।

जारी...3/-

- रक्षा पेंशनभोगियों की शिकायत के निवारण में तेजी लाने के लिए डीपीडीओ प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस पर रक्षा पेंशन अदालतों का आयोजन करता है।
- सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटली हस्ताक्षरित ई-पीपीओ का कार्यान्वयन जिससे प्रेषण के लिए होने वाले समय की खपत तथा मार्ग में गुम होने की संभावना खत्म हो जाती है।

4) **दूरसंचार पेंशनभोगियों के संबंध में दूरसंचार विभाग:**

- शिकायतें दर्ज करने के लिए टॉल फ्री नंबर (18004250089)कार्यदिवसों के दौरान उपलब्ध है।
- केरल में सभी दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए तिमाही पेंशन अदालत आयोजित की जाती है और सभी दूरसंचार पेंशनभोगियों तक पहुंच बनाने हेतु इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाता है।
- **सीपीग्राम्स** पोर्टल में दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाता है।

5) **डाक पेंशनभोगियों के संबंध में डाक विभाग:**

- पेंशन अदायगी को स्वचालित कर दिया गया है जिससे किसी भी शिकायत की संभावना का निराकरण होता है।
- पेंशनभोगी अपनी समस्याओं का समाधान करवाने हेतु डाक घर स्तर, मंडल/क्षेत्रीय कार्यालय/पीएमजी/सीपीएमजी स्तर तथा डाक निदेशालय स्तर पर संपर्क कर सकते हैं।
- पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर अंचल/राज्य स्तर पर भी पेंशन अदालतें आयोजित की जा रही हैं।

6) **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय:**

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित एक समाज कल्याण/सामाजिक सुरक्षा योजना है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे(बीपीएल) रहने वाले परिवारों के व्यक्तियों पर ही लागू हैं। लाभार्थियों की पहचान, पेंशन की संस्वीकृति और अदायगी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। एनएसएपी के दिशानिर्देशों में ग्राम/मध्यवर्ती पंचायत/जिला/नगरपालिका स्तरों पर शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया है तथा इसमें शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए शिकायतों पर कार्य करने की समय-सीमाओं के साथ उपयुक्त वरिष्ठता के एक अधिकारी को नामनिर्दिष्ट किया गया है जिन्हें शिकायतें संबोधित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, इन दिशानिर्देशों में आवधिक सामाजिक संपरीक्षा का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ, एनएसएपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इंटरफेस को सुदृढ किया गया है। इस पहल से, लाभार्थियों की सूची पूर्णतया डिजीटलीकृत हो गई है और वित्तीय वर्ष 2017-18 में दर्ज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) विधि के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक संव्यवहारों के मुकाबले 2018-19 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 21.27 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संव्यवहारों की सूचना दी गई है।

******

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4399

19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना

4399. श्री बालाशोवरी वल्लभानेनीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार एक वर्ष में एक करोड़ रोजगार पैदा करने के मद्देनजर ईपीएफ में नियोक्ता के अंशदान का 12 प्रतिशत तीन वर्षों तक वहन कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि इस योजना के लागू होने के बाद भी रोजगार की संख्या एक लाख भी नहीं पहुंच पाई है; और

(घ) यदि हां, तो एक करोड़ रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) एक श्रम सुधार पहल थी जिसके अंतर्गत सरकार गारमेंट व मेड-अप्स क्षेत्रों में नए कर्मचारियों की नियुक्ति के पहले तीन वर्षो के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के नियोक्ता अंशदान का संपूर्ण 12% वहन कर रही थी। पहले, नियोक्ता के अंशदान का 8.33% सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के अंतर्गत तथा 15000/- रुपए प्रतिमाह के वेतन वाले नए कार्मिकों के लिए गारमेंट व मेड-अप्स क्षेत्रों को पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत नियोक्ता का अतिरिक्त 3.67% अंशदान उपलब्ध कराया जाता था।

(ख), (ग) और (घ): सरकार दिनांक 01.04.2018 से सभी क्षेत्रों (वस्त्र सहित) में पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत नये कर्मचारियों को तीन वर्ष तथा मौजूदा लाभार्थियों को तीन वर्ष की शेष अवधि हेतु नियोक्ता का हिस्सा अर्थात 12% (ईपीएस+ईपीएफ) अदा करना शुरू कर दिया है। पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत दिनांक 16.07.2019 तक अपफ्रंट व प्रतिपूर्ति से कुल 1,21,39,554 सदस्य लाभांवित हुए हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4623

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

ई.पी.एफ.ओ. में निवेश बैंकर और अर्थशास्त्री

4623. डॉ. शशि थरूर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय का ई.पी.एफ.ओ में कुशल निवेश बैंकरों और अर्थशास्त्रियों का एक आंतरिक दल गठित करने का विचार है, जो कि पेंशन निधि के उपयोग को सुधारने हेतु रणनीतिक निवेश योजनाएं बना सके हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ई.पी.एफ.ओ. को, सरकार के कम से कम हस्तक्षेप सहित, अपनी परिसंपत्तियों के आबंटन संबंधी नीति बनाने में सक्षम करने हेतु उसे स्वायत्त सांविधिक शक्तियों से संपन्न करने पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की निधियों का केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश के प्रतिरूप के अनुसार केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा नियुक्त पेशेवर पोर्टफोलियों प्रबंधक द्वारा निवेश किया जा रहा है। निधियों के निवेश के लिए ईपीएफओ के परिसंपत्ति के आबंटन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4763

सोमवार, 22 जुलाई, 2019 / 31 आषाढ़ 1941 (शक)

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

4763. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का कार्यान्वयन किया है तथा इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जिस उद्देश्य से उक्त योजना को शुरू किया गया था तथा स्वीकृत/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के आरंभ से जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उन बीमित लोगों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत शुरू में कितने लोगों को शामिल किया गया है तथा इसके अंतर्गत कितने अंशदाताओं को शामिल किया गया है तथा अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की कार्य दशा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कारखाना बंद होने से भिन्न बीमित व्यक्ति के बेरोजगार होने की स्थिति में उसे कुछ राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नामक एक स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत पूर्ववर्ती चार अंशदान अवधियों के दौरान प्रतिदिन औसत कमाई (चार अंशदान अवधि के दौरान कुल कमाई/730 दिवस) के 25% तक राहत बेराजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक बीमित व्यक्ति के जीवन काल में एक बार एक एफिडेविट के रूप में दावा प्रस्तुत करने पर अदा की जानी है।

(ख) से (घ): यह योजना आंरभ में दो वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर 01.07.2018 से प्रभावी बनाई गई है। यह योजना अरूणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप को छोड़ कर जंहा ईएसआई योजना कार्यान्वित की जाती है उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करती है। वर्ष 2018-19 के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जून, 2019 तक 28 मामलों में कुल 2,05,558 रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया है।

(ड.): भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र, पत्तन क्षेत्र और खनन क्षेत्र में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी मुद्दों का ध्यान रखने के लिए क्रमश: कारखाना अधिनियम, 1948, गोदी कामगार (सुरक्षा,स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 और खान अधिनियम, 1952 के रूप में व्यापक विधान अधिनियमित किया है।

इसके अलावा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, श्रमिक संघ अधिनियम, 1926, बागान श्रम अधिनियम, 1951, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम,1976 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ कामगारों को बेहतर कामकाजी दशाएं प्रदान करना है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम की अपेक्षा है कि असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ; से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाई जाएं। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें समान हिस्सेदारी में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभों का ध्यान आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से रखा जाता है। न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का सूत्रपात किया है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह स्कीम 50:50 पर आधारित है जिसमें 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा तथा समरूप अंशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा देय है। इसी प्रकार, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना का अनुमोदन किया है, जो इसी तर्ज पर दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना है।

*****